कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email- jdajodhpur@rajasthan.gov.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / आवंटन / 2017 / 1802–5 / 3940–3973 दिनांक :: 10 मार्च, 2017

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 3 मार्च, 20178 को दोपहर 2.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–क पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 5 अगस्त, 2016 एवं 27 दिसम्बर, 2016 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

बैठक में सचिव ने अवगत कराया गया कि गत प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 5 अगस्त, 2016 एवं 27 दिसम्बर, 2016 को आयोजित की जाकर उनका कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः गत बैठकों दिनांक 5 अगस्त, 2016 एवं 27 दिसम्बर, 2016 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठकों दिनांक 5 अगस्त, 2016 एवं 27 दिसम्बर, 2016 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: राजकीय माध्यमिक विद्यालय दांतीवाडा को खसरा संख्या 469 ग्राम दांतीवाडा में भूमि आवंटन।

अध्यक्ष व सचिव, विद्यालय प्रबन्धन समिति, राज.मा.विद्यालय, दांतीवाड़ा द्वारा भूमि–आवंटन नीति 2015 के तहत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन–पत्र एवं प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम दांतीवाडा के खसरा संख्या 469, किस्म गोचर, कुल रकबा 99–05 बीघा में से 54613 वर्गमीटर भूमि को सरकारी विद्यालय हेतु आवंटन करने की मांग की है।

राजस्व रेकर्ड अनुसार वर्तमान में खसरा संख्या 469, किस्म गोचर, जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है।

प्रकरण में प्राधिकरण के तहसीलदार व पटवारी (पूर्व जोन) की रिपोर्ट अनुसार मौके पर इस खसरे में लगभग 30 बीघा भूमि में विद्यालय भवन, बाउण्ड्र व मैदान है। राजस्व रेकर्ड अनुसार उक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है।

प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि जोधपुर मास्टर प्लान 2023 में अरबन एरिया से बाहर ग्रामीण में स्थित है परन्तु जोधपुर जोन के 395 ग्राम में सम्मिलित है। भू–उपयोग निर्धारित नहीं है।

10/3/17

अतः भूमि आवंटन नीति–2015 के तहत ग्रान दांतीवाड़ा के खसरा संख्या 469, किस्म गोचर, कुल रकबा 99–05 बीघा में से सरकारी विद्यालय हेतु 54613 वर्गमीटर भूमि आवंटन किये जाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में निर्गयार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालय के लिए 6000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन का ही प्रावधान है एवं जिसके लिए राज्य सरकार सक्षम है। परन्तु विद्यालय की कुल चार दीवारी मय विद्यालय भवन के 32.14 बीघा पर निर्मित है। उक्त भूमि वर्तमान में जोधपुर के मास्टर प्लान में ग्रामीण क्षैत्र में स्थित है जिसका भू–उपयोग निर्धारित नहीं हैं। अतःएव खसरा संख्या 469 किस्म गौचर कुल रकबा 99.05 बीघा में से 32.14 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 3 :: भूखण्ड संख्या बी–108, विज्ञान नगर की पंजीकरण राशि रूपये 40,000/– लौटाने बाबत।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थी श्रीमती सुनिता पत्नि श्री परसुराम को भूखण्ड बी–108 विज्ञान नगर योजना की पंजीकरण राशि 40000/– लौटाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी को लॉटरी दिनांक 20.10.2015 को भूखण्ड बी–108 आवंटन हुआ था। प्रार्थी को आवंटन पत्र जारी नहीं किया गया।

प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र में क्रम संख्या 5 – मध्यम आय वर्ग 'बी' जिनकी आय 45001 से 65000/– प्रतिमाह तक हो, में क्षैत्रफल 351 से 500 वर्गमीटर आय वर्ग एवं अनुसूची जाति में आवेदन किया था तथा प्रार्थीनी द्वारा परिवार की सकल आय आय 55080/– प्रतिमाह दर्शायी है तथा उक्त आय प्रमाण पत्र पति का प्रस्तुत किया जिसके अनुसार आय 1,34, 244/– का प्रस्तुत किया गया है तथा अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रार्थीनी द्वारा शपथ एवं स्थायी पता में कानपुर का रहवासी अंकित है।

कार्यालय आदेश 1289 दिनांक 4.7.2016 को बुकलेट के पैरा 15 (8) के तहत गलत सूचना देने पर भूखण्ड निरस्त कर पंजीकरण राशि जब्त किये जाने का आदेश जारी किया जा चुका है।

प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे आवेदन की सही जांच नहीं की गई है। यदि पूर्व में ही सही जांच होती तो मेरे को 5 प्रतिशत राशि काटकर रिफण्ड हो सकती थी।

पंजीकरण राशि 40,000/– लौटाये जाने हेतु वास्ते प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में प्रार्थीनी की पत्रावली का अहवलोकन किया गया जिसे जाहिर है कि आवेदन पत्र में प्रार्थी ने अपने आप को अनुसूचित जाति का सदस्य बताया है साथ ही उत्तरप्रदेश राज्य की निवासी होना बताया है। जबकि आवेदन पुस्तिका के बिन्दु संख्या 10 के स्पष्टीकरण 2 से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का सदस्य वह व्यक्ति है जो राजस्थान का

10/3/17

मूल निवासी है। अतएव उपरोक्त कथन से प्रार्थिया इस आवेदन हेतु अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए पात्र नहीं थी। किन्तु उसका चयन अनुसूचित जाति श्रेणी में हुआ है जो सही नहीं है एवं इसका उत्तरदायित्व प्रार्थिया का है। राजस्थान का मूल निवासी एवं राजस्थान में अनुसूचित जाति श्रेणी का व्यक्ति नहीं होने से सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थिया का पंजीकरण शुल्क 40,000/– रूपये की राशि जब्त कर ली जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 :: भूखण्ड संख्या सी–298, कीर्तिनगर उपभोक्ता मंच, जोधपुर के प्रकरण संख्या 398/14 में पारित आदेश के कम में अन्य योजना में भूखण्ड आवंटन बाबत।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थी भंवरलाल पुत्र श्री हरदेव को भूखण्ड संख्या सी–298 कीर्तिनगर में दिनांक 6.10.1988 को आवंटन किया गया था तथा संपूर्ण राशि दिनांक 3.11.1988 को जमा कराई जा चुकी है तथा लाईसेंस दिनांक 20.12.1988 को जारी है।

मौके पर अतिक्रमण होने के कारण प्रार्थी को कब्जा सुपुर्द नहीं किया जा सका। प्रार्थी द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जोपुर (प्रथम) प्रकरण संख्या 398/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.1.2016 वाद के निर्णयानुसार प्रार्थी को विवादित भूखण्ड के स्थान पर उसी नाप व क्षैत्रफल व मूल्य का अन्य भूखण्ड किसी अन्य कॉलोनी/ योजना में आवंटित कर उसका भौतिक कब्जा सुपुर्द करें साथ ही परिवादी को मानसिक क्षति पेटे 5000/– एवं परिवाद व्यय पेटे 3000/– कुल 8000/– अदा करने का आदेश पारित किया गया है।

प्रार्थी श्री भॅंवरलाल पुत्र श्री हरदेव को भूखण्ड संख्या सी–298 कीर्तिनगर कीर्तिनगर के एवज में अन्य भूखण्ड दिलाने हेतु राजस्थान सम्पर्क में भी प्रकरण दर्ज है।

वर्तमान में कीर्ति नगर क्षैत्र नगर निगम जोधपुर को हस्तांतरित है। प्रार्थी को प्राधिकरण की अन्य योजना में भूखण्ड आवंटित करने हेतु कार्याकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में निदेशक–विधि ने बताया कि उक्त मामले में माननीय न्यायालय में अपील विचाराधीन होकर स्थगन है लिहाजा प्रकरण में किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। तद्नुसार प्रकरण में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: आवासगृह संख्या 54, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय बासनी तम्बोलिया में नाम हस्तान्तरण की अनुमति बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा आवास संख्या 54 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर बासनी तम्बोलिया में दिनांक 28.08.2009 को श्री उमाराम पुत्र श्री रामाराम जी को आवास आवंटित किया गया था। आवंटी द्वारा आवांस की एक मुश्त राशि जमा करवा दी गई थी बाद आवंटी श्री उमाराम पुत्र श्री रामाराम का स्वर्गवास दिनांक 18.09.2010 को हो गया। आंवटी की पत्नी श्रीमती भंवरी देवी पत्नी स्व. श्री उमाराम द्वारा सहमति पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवासन अपने नाम हस्तान्तरण की मांग की गई बाद कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा उक्त आवासन श्रीमती भंवरी देवी पत्नी स्व. श्री उमाराम के नाम से दिनांक 10.01. 2013 को हस्तान्तरित किया गया। तथा दिनांक 11.03.2013 को उक्त आवास की लीज डीड भी श्रीमती भंवरी देवी पत्नी स्व. श्री उमाराम के नाम से कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा जारी की गई। बाद श्रीमती भंवरी देवी पत्नी स्व. श्री उमाराम द्वारा अपना आम मुख्तयार श्रीमती कमलेशी मीना पत्नी श्री फूलसिंह जी मीना को नियुक्त किया गया। आम मुख्यातर श्रीमती कमलेशी मीना पत्नी श्री फूलसिंह जी मीना ने उक्त आवास जरिये रजिस्टर

10/5/17

बेचान से दिनांक 11.03.2016 को श्री आरिफ मोहम्मद पुत्र श्री निसार मोहम्मद को बेचान कर दिया। श्री आरिफ मोहम्मद पुत्र श्री निसार मोहम्मद द्वारा प्राधिकरण में दिनांक 05.100.2016 को आवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास का नाम हस्तान्तरण करने की मांग की गयी है। उक्त योजना के आवास संख्या 347 में विधि शाखा द्वारा आवेदन पुस्तिका की शर्त संख्या 15 (आवंटी आवंटित मकान को 20 वर्ष तक किराया क्रय पद्वति पर तथा नगद क्रय पद्वति पर मकान का विक्रय 10 वर्ष पूर्व नही कर सकता हैं। दीगर व्यक्ति को बेचान करने पर न्यास/प्राधिकरण को आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है) के अनुसार कार्यवाही की जानी उचित होगी, का उल्लेख किया गया है जबकि आंवटन पत्र की शर्त संख्या 14 के अनुसार (आवास पर राजस्थान नगर विकास न्यास (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम 1974 एवं प्राधिकरण के सभी प्रावधान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित लागू होंगें) के तहत पूर्व में भी उक्त योजना क्षेत्र में नाम हस्तान्तरण नगरीय भूमि निस्तारण नियम के तहत प्रार्थी से उक्त योजना क्षैत्र की प्रचलित दर का 5 प्रतिशत प्रार्थी से वसुल करते हुए नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा चुकी है। उक्त प्रकरण भी नाम हस्तान्तरण का है । आवास का नाम हस्तान्तरण हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवंटन पत्र की शर्त संख्या 10 एवं आवेदन पुस्तिका की शर्त संख्या 15 के अनुसार किराया कय पद्धति से आवंटित मकान का 20 वर्ष तक तथा नकद कय पद्धति से आवंटित मकान का 10 वर्ष तक हस्तान्तरण/बेचान नहीं कर सकता है। उपरोक्त प्रकरण में 10 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं होने से नाम हस्तान्तरण की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: आवासगृह संख्या 347, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय बासनी तम्बोलिया में नाम हस्तान्तरण की अनुमति बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा आवास संख्या 347 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर बासनी तम्बोलिया में दिनांक 28.08.2009 को श्रीमती इन्द्रादेवी पत्नि श्री सोहनलाल चौरडिया को आवास आवंटित किया गया था। आवंटी द्वारा आवांस की एक मुश्त राशि जमा करवाकर दिनांक 17.12.2009 को पट्टा विलेख प्राप्त कर लिया तत्पश्चात् आवंटी ने अपना आम मुख्तयार श्रीमती मधूबाला पत्नि श्री रतनसिंह को दिनांक 09.02.2015 को नियुक्त कर दिया। आम मुख्यातर श्रीमती मधुबाला पत्नी श्री रतनसिंह ने उक्त आवास जरिये रजिस्टर बेचान से दिनांक 10.02.2016 को श्री किशनाराम पुत्र श्री दीपाराम को बेचान कर दिया गया। श्री किशनाराम पुत्र श्री दीपाराम द्वारा प्राधिकरण में दिनांक 30.08.2016 को आवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास का नाम हस्तान्तरण करने की मांग की गयी है। मांग करने पर हस्तान्तरण से पूर्व विधि शाखा की टिप्पणी प्राप्त की गई। जिसमें विधि शाखा द्वारा आवेदन पुस्तिका की शर्त संख्या 15 (आवंटी आवंटित मकान को 20 वर्ष तक किराया क्रय पद्वति पर तथा नगद क्रय पद्वति पर मकान का विक्रय 10 वर्ष पूर्व नही कर सकता हैं। दीगर व्यक्ति को बेचान करने पर न्यास/प्राधिकरण को आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है) के अनुसार कार्यवाही की जानी उचित होगी, का उल्लेख किया गया है जबकि आंवटन पत्र की शर्त संख्या 14 के अनुसार (आवास पर राजस्थान नगर विकास न्यास (नगरीय भूमि निस्तारण) नियम 1974 एवं प्राधिकरण के सभी प्रावधान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित लागू होंगें) के तहत पूर्व में भी उक्त योजना क्षेत्र में नाम हस्तान्तरण नगरीय भूमि निस्तारण नियम के तहत प्रार्थी से उक्त योजना क्षैत्र की प्रचलित दर का 5 प्रतिशत प्रार्थी से वसुल करते हुए नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा चुकी है। उक्त प्रकरण भी नाम हस्तान्तरण का है । आवास का नाम हस्तान्तरण हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

10/3/17

निर्णय

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवंटन पत्र की शर्त संख्या 10 एवं आवेदन पुस्तिका की शर्त संख्या 15 के अनुसार किराया क्रय पद्धति से आवंटित मकान का 20 वर्ष तक तथा नकद क्रय पद्धति से आवंटित मकान का 10 वर्ष तक हस्तान्तरण/बेचान नहीं कर सकता है। उपरोक्त प्रकरण में 10 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं होने से नाम हस्तान्तरण की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: ग्राम आंगणवा में मेघा आवास योजना के अन्तर्गत 19 आवंटियों को आवंटन–पत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष से 2 वर्ष की अवधि में प्रकरण नियमन बाबत कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने

राजस्थान आवास विकास एण्ड इन्फ्रास्ट्रचर लिमिटेड द्वारा मेगा आवास योजना 2013–14 ग्राम आंगणवा–नागौर बाई पास रोड, जोधपुर पर निर्मित जी+3 के अन्तर्गत दिनांक 10.04.2015 को लॉटरी द्वारा सफल आवेदको को आवास/फ्लेट आवंटन किये गये थे। आवंटियो को आवटन–पत्र अनुसार किश्तो में रूपये जमा कराने थे आवंटन–पत्र में अंकित नोट के बिन्दु संख्या 02 के अनुसार आवास आवंटन मांग–पत्र जारी होने की तिथी से 90 दिवस में नजराना राशि जमा न होने की स्थिति में फ्लेट का आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा। भूमि निस्पादन नियम 1974 के नियम 17(5)1 के तहत आवंटन बहाल करने की शक्तियॉ एक वर्ष तक अध्यक्ष महोदय में निहित है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की तृतीय बैठक दिनांक 09.06.09 के कार्यवाही विवरण क्रमांक बैठक/2009/1141–66/दिनांक 17 जून, 2009 में प्रस्ताव संख्या 17(2) को निम्नानुसार स्वीकार किया गया था

The Rajasthan Imporvement Trust (Dispdal of Urbabn Land) Rule, 1974 नगर विकास न्यास के लिए बने हुए हैं इसमें जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए इन नियमों में निम्न अनुसार अधिकारियों को अधिकृत करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि The Rajasthan Imporvement Trust (Dispdal of Urbabn Land) Rule, 1974 के नियमो में विभिन्न कार्यो को सम्पादन करने के अधिकार अध्यक्ष न्यास, न्यास समिति एवं राज्य सरकार में निहित है, प्राधिकरण के परिप्रेक्ष्य में The Rajasthan Imporvement Trust (Dispdal of Urbabn Land) Rule, 1974 के समस्त नियमों के तहत कार्य निम्न अनुसार सम्पादित किये जावेः–

1. The Rajasthan Imporvement Trust (Dispdal of Urbabn Land) Rule, 1974 में जहां अध्यक्ष न्यास अंकित है। वे समस्त शक्तिया जोधपुर विकास आयुक्त को प्रदत्त हो।

2. The Rajasthan Imporvement Trust (Dispdal of Urbabn Land) Rule, 1974 में जहां न्यास अंकित है वे समस्त शक्तियॉ कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रदत्त हो।

3. The Rajasthan Imporvement Trust (Dispdal of Urbabn Land) Rule, 1974 में जहां राज्य सरकार अंकित है वे शक्तियॉ राज्य सरकार की ही रहेगी।"

जोधपुर विकास प्राधिकरण की तृतीय बैठक दिनांक 09.06.09 के कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव संख्या 17(2) के अनुसार बिन्दु संख्या 1 अध्यक्ष महोदय के स्थान पर आयुक्त महोदय को प्रदत है।

10/3/17

मेगा आवास योजना 2013–14 ग्राम आंगणवा–नागौर बाई पास रोड, जोधपुर में सूची अनुसार आवंटित प्रकरण एक वर्ष से दो वर्ष तक कार्यकारी समिति को नियमन करने की शक्तिया प्रदान की गई।

राजस्थान नगरीय, पेयजल सिवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को पत्र क्रमांक राविल / जोधपुर / 2016–17 / 987 दिनांक 22.08.2016 के बिन्दु संख्या 4 आवंटी का आवंटन–पत्र जारी किया जा चूका है आवंटी द्वारा समयावधि में राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में पुस्तिका के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार देय राशि पर विलम्ब अवधि के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लेते हुए राशि स्वीकार की जा सकती है। ऐसा संस्था द्वारा उस स्थिति में किया जायेगा जब आवास उपलब्ध हो।

उपरोक्त प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णायत प्रस्तुत है।

क्र.स.	आवंटी का नाम	फ्लेट संख्या	आवंटन–पत्र जारी दिनांक
01.	सुश्री नीतु सागर	E01/FF/12	24.08.2015
02.	श्रीमती लक्ष्मी देवी	E01/SF/22	04.09.2015
03.	श्री बाबूलाल	E03/SF/18	28.09.2015
04.	श्री मोटाराम	E05/SF/24	30.07.2015
05.	श्री भागीरथ गौड	E07/FF/14	28.09.2015
06.	श्री महेन्द्र कुमार	E08/TF/28	30.07.2015
07.	श्री संतोष कुमार	E12/TF/30	03.09.2015
08.	श्री जय राम दास	E13/GF/05	16.09.2015
09.	श्री सुमेर चन्द्र	E13/FF/09	16.10.2015
10.	श्री प्रभू सिंह	E13/TF/27	16.09.2015
11.	श्री दामोदर सिंह	E14/FF/16	04.09.2015
12.	सुश्री आंकाशा पुरोहित	L02/SF/12	03.09.2015
13.	श्री नृसिंह	L14/FF/05	26.08.2015
14.	श्री निशान्त कटारा	L09/GF/01	30.07.2015
15.	श्री राजेश सोलंकी	L16/FF/05	30.07.2015
16.	श्री हीरालाल	L19/SF/12	26.08.2015
17.	श्री पूनम चन्द्र आचार्य	L23/GF/02	16.09.2015
18.	श्रीमती टीपू चौधरी	M09/SF/09	16.09.2015
19.	श्रीमती सुनीता कँवर	E10/GF/07	08.02.2016

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ हेतू प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा में उपरोक्तानुसार 19 प्रकरण प्रस्तुत हुए। बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नियमानुसार ब्याज व शास्ति लेते हुए प्रकरणों का नियमन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 8 :: भूखण्ड संख्या डी–58, कीर्तिनगर प्रार्थी श्री चन्द्रप्रकाश को एवज में अन्य योजना में भूखण्ड आवंटन बाबत।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थी चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री भँवरलाल को भूखण्ड संख्या 58 सेक्टर डी कीर्तिनगर में दिनांक 26.10.1988 को आवंटन किया गया था तथा संपूर्ण राशि दिनांक 7.1.1988 व 15.1.1988 को जमा कराई जा चुकी है तथा लाईसेंस दिनांक 21.4.1989 को जारी है।

मौके पर कच्ची बस्ती के तहत सर्वे संख्या 7 / 36 के द्वारा श्रीमती मीना देवी स्व. श्री शंकर लाल को भूखण्ड संख्या 58 डी सेक्टर कीर्ति नगर का नियमन दिनांक 28.2.2003 को हो

10/3/17

चुका है तथा वर्तमान कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में भूखण्ड पर श्रीमती मीना देवी स्व. श्री शंकर लाल का कब्जा होना बताया है।

प्रार्थी श्री चन्द्र प्रकाश को भूखण्ड संख्या 58 डी सेक्टर कीर्ति नगर के एवज में अन्य योजना में भूखण्ड आवंटन करने की मांग की है। प्रार्थी का प्रकरण राजस्थान सम्पर्क में भी दर्ज है। वर्तमान में कीर्ति नगर क्षैत्र नगर निगम जोधपुर को हस्तान्तरित है। प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ प्रेस्तुत हुआ।

निर्णय

उपायुक्त–उत्तर की रिपोर्ट अनुसार संपूर्ण राशि जमा कराकर आवेदक श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा को लाईसेंस दिनांक 21 अप्रैल, 1989 को जारी किया जा चुका है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी श्री चन्द्र प्रकाश को भूखण्ड संख्या डी–58 कीर्तिनगर के समतुल्य क्षैत्रफल का भूखण्ड जोधपुर विकास प्राधिकरण की राजीव गांधी नगर योजना में आवंटित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 9 :: कार्यालय पुलिस आसूचना जोधपुर के प्रशासनिक भवन हेतु खसरा संख्या 74, ग्राम आंगणवा में भूमि आवंटन बाबत।

कार्यालय पुलिस आसूचना जोधपुर द्वारा ग्राम आंगणवा में 8000 वर्ग मीटर भूमि कार्यालय पुलिस आसूचना जोधपुर के प्रशासनिक भवन हेतु भूमि आवंटन नई नीति के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

तहसीलदार उत्तर एवं पटवारी की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 74 ग्राम आंगणवा रकबा 235.17 बीघा किस्म गैर मुमकिन पहाड प्राधिकरण (नगर सुधार न्यास) के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 74 जोधपुर मास्टर प्लान 2023 में भू–उपयोग आवासीय श्रेणी में आरक्षित है। भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना है।

कार्यालय पुलिस आसूचना जोधपुर के प्रशासनिक भवन हेतु भूमि आवंटन किये जाने वास्ते प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णय हेतु प्रेषित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्नति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त आवेदित भूमि खसरा संख्या 74 ग्राम आंगणवा कुल रकबा 235.17 बीघा में से 8000 वर्ग मीटर भूमि जो कि वर्तमान में 2023 के मास्टर प्लान में भू–उपयोग के रूप में आवासीय श्रेणी में आरक्षित है। बैठक में उपायुक्त–उत्तर द्वारा अवगत कराया गया कि इस खसरे में अधिकांश संस्थागत आवंटन पूर्व में हो चुके हैं इसलिए पुलिस आसूचना विभाग, जोधपुर के प्रशासनिक भवन हेतु भूखण्ड आवंटन के लिए प्रकरण भिजवाया जाना उचित होगा। लिहाजा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के मास्टर प्लान संबंधित निर्णय गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के कम में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आयोजना शाखा एवं आवंटन हेतु संबंधित उपायुक्त प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जाने हेतु प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 10 :: पूर्वी पाल रोड योजना भूखण्ड संख्या डी–16 क्षैत्रफल 252 वर्ग गज के एवज में अन्य भूखण्ड आवंटन बाबत।

10/3/17

कार्यालय नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा दिनांक 08.03.1985 को लॉटरी द्वारा पूर्वी पाल योजना के सेक्टर–डी में भूखण्ड संख्या 16 बनाप 252 वर्गमीटर का श्री विजय कलाल पुत्र श्री शिवराज कलाल को आवंटन किया गया था। प्रार्थी द्वारा भूखण्ड की देय राशि जमा करवा कर लाईसेन्स व साईट प्लान दिनांक 18.07.1995 को प्राप्त कर लिया गया था। योजना क्षैत्र में खसरा विवाद होने के कारण प्रार्थी को भौतिक कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया। न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण उक्त प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16.09.2011 में रखा गया। उक्त बैठक के प्रस्ताव संख्या 04(11) के निर्णय अनुसार आवंटी को वैकल्पिक भूखण्ड ग्राम चौखा की राजीव गांधी नगर योजना में भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया एवं इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि प्रार्थी से सहमति प्राप्त होने पर ही भूखण्ड आवंटन किया जावें। आवंटी को कनिष्ठ अभियन्ता के साथ राजीव गांधी नगर योजना में आवंटन योग्य भूखण्डों का मौका मुआयना करवाया गया परन्तु सभी भूखण्डों की उबड–खाबड स्थिति को देखकर आवंटी ने सहमति प्रदान करने की बजाय रामराज नगर योजना के सेक्टर संख्या 1 में भूखण्ड संख्या 354 आवंटन करने हेतु आयुक्त महोदय को दिनांक 15/03/2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं अपनी सहमति प्रस्तुत की है। लेकिन वर्तमान में राजीव गांधी नगर ग्राम चौखा योजना में 252 वर्गमीटर नाप का भूखण्ड रिक्त नहीं है। अतः आवंटी को रामराज नगर योजना में भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में पूर्वी पाल योजना के सेक्टर डी के भूखण्ड संख्या 16 क्षैत्रफल 252 वर्ग मीटर के समतुल्य भूखण्ड राजीव गांधी योजना, चौखा में आवंटित किया जावे। राजीव गांधी नगर योजना में आवंटन योग्य समतल भूखण्डों की सूची तैयार का प्रार्थी से विकल्प मांगे जाकर नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 11 :: राजीव गांधी नगर योजना में भूखण्ड संख्या 259 सेक्टर–बी में करीब 20 फीट खड्डे होने के कारण बदले में उसी योजना में अन्य वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन बाबत।

प्रार्थी श्री गिरीश कुमार परिहार पुत्र श्री जवाहर लाल परिहार को लॉटरी दिनांक 15.02.2010 के जरिये ग्राम चौखा में राजीव गांधी नगर योजना सेक्टर–बी में भूखण्ड संख्या 259 सेक्टर–'बी' बनाप 12×21 मीटर =259 वर्गमीटर का आवंटन किया गया। प्रार्थी ने आवंटित भूखण्ड के पेटे रसीद संख्या 9001/7533 दिनांक 30.04.2010 राशि जमा करवा कर लीजडीड दिनांक 09.05.2010 को प्राप्त कर ली गई है। प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 19/09/2016 को पेश कर निवेदन किया है कि उक्त आवंटित भूखण्ड पर करीब 20' फीट का गहरा खड्डा होने के कारण भवन निर्माण नहीं किया जा सकता है तथा इसी योजना में समकक्ष स्तर का समतल भूखण्ड आवंटित करने की मांग की है ताकि भवन निर्माण करवा कर रहवास कर सकें।

कनिष्ठ अभियन्ता से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, जिसमें कनिष्ट अभियन्ता की मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड पर मार्गाधिकार से लगभग 10–12' फीट नीचे होना बताया है एवं उबड–खाबड भूमि बताई है। प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के बदले इसी योजना में समकक्ष क्षेत्रफल का समतल भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

प्रार्थी श्री गिरिश कुमार परिहार ने राजीव गांधी नगर योजना में सेक्टर बी में भूखण्ड संख्या 259 क्षैत्रफल 262 वर्ग गज उपायुक्त–पश्चिम की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर लगभग 10

10/3/17

– 12 फीट गढ्ढे में स्थित है लिहाजा समिति द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राजीव गांधी नगर योजना में जितनी चोडाई की सडक पर वर्तमान में भूखण्ड स्थित है, उतनी ही चौडी सडक पर वैकल्पिक भूखण्ड कॉर्नर भूखण्ड को छोडते हुए समान आकार का समतल भूखण्ड आवंटित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 12 :: रामराज नगर योजना में भूखण्ड संख्या 188 सेक्टर–4 में क्षैत्रफल 19.23 वर्ग मीटर अधिक होने से अतिरिक्त भूमि आवंटन बाबत।

प्रार्थी श्री सोहनलाल आचार्य को लॉटरी दिनांक 02.09.2008 को ग्राम चौखा की रामराज नगर योजना में सेक्टर संख्या 04 में भूखण्ड संख्या 188 बनाप 34×69 = 217.94 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था । प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित भूखण्ड के पेटे रसीद संख्या 0045555 दिनांक 15.10.2008 के जरिये रूपये 2,12,592/– जमा करा दिये गये । इसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा लीज–डीड जारी करने की मांग की गयी। कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड कॉर्नर का होने के कारण मौके पर भूखण्ड का क्षेत्रफल 34'+40' /2× 69' = 237.17 वर्गमीटर का होना बताया है।

इस प्रकार मौके पर उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 217.94 की बजाय 237.17 वर्गमीटर है। अर्थात् 237.17–217.94 = 19.23 वर्गमीटर अधिक क्षैत्रफल है, जो सडक सीमा का भाग नहीं है। और न ही किसी भूखण्ड का भाग है । प्रार्थी द्वारा अपने आवंटित भूखण्ड की ही लीजडीड जारी करने की मांग की है। प्रार्थी के भूखण्ड से लगती 19.23 वर्गमीटर अधिक क्षेत्रफल का चूंकि कोई स्वतन्त्र उपयोग नही हो सकता है। अतः आवंटी को दिया जाकर नियमानुसार शेष राशि वसूल की जाकर लीजडीड जारी करना उचित रहेगा। अन्यथा आवंटी द्वारा इस अधिक क्षेत्रफल अतिक्रमण की सम्भावना रहेगी। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के पैरा संख्या 32/एन से जाहिर है कि आवेदक श्री सोहनलाल आचार्य ने उपायुक्त–पश्चिम के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया है कि मौके पर जो भूमि का भू–भाग बढ रहा है, वह उसे नहीं चाहिए केवल उसे जितनी भूमि आवंटन हुई है उतनी ही लीज डीड जारी कर दी जावे। पत्रावली के पैरा संख्या 36/एन में तत्कालीन आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ने अंकित किया है कि, "अधिक क्षैत्रफल का कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं है। अतः आवंटी को दिया जाकर एवं नियमानुसार शेष राशि वसूल की जाकर लीज डीड जारी की जावे। E/C की बैठक में रखकर अनुमोदन प्राप्त किया जावे।" उपरोक्तानुसार आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा पैरा संख्या 36/एन पर अंकित निर्णय के अनुरूप कार्यवाही करने के लिए उपायुक्त– पश्चिम को सर्व सम्मति से अधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 13 :: माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में सिविल रिट पिटीशन संख्या 9230/2013 के कम में प्रतिनियुक्ति पर लगे 3 कार्मिकों को रामराज नगर योजना चौखा में आवंटन के कम में लीज डीड जारी करने अथवा नहीं करने बाबत निर्णय लेने के संबंध में।

जोधपुर नगर विकास न्यास द्वारा दिनांक 02.09.2008 को रामराज नगर योजना, चौखा में तत्समय. यू.आई.टी.(वर्तमान जो.वि.प्रा.) में प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए कर्मचारी श्री किशनसिंह पटवारी, श्री जगदीश पुरोहित पटवारी व श्री प्रेमप्रकाश पटवारी को रामराज नगर योजना, चौखा

1/3/17

मे क्रमंशः भूखण्ड संख्या 197, 181 व 177 सेक्टर–04 में आरक्षित दर पर आवंटन किये गये थे। आवंटन के पश्चात् उक्त कर्मचारियों द्वारा भूखण्ड की राशि भी कार्यालय में जमा करवा दी गई थी परन्तु लीजडीड जारी नही की गई थी। इसी बीच दिनांक 23.11.2012 को राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक प.3(1230) न.वि.वि/3/2011 दिनांक 23.11.2012 को एक आदेश जारी कर निर्देश प्रदान किये गये कि नगर सुधार न्यास में **प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए कार्मिकों को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन नहीं किये जावें।** उक्त आदेश का फ्लैग –ए पर अवलोकन फरमावें।

इस सम्बन्ध में निवेदन हैं कि उपरोक्त तीनों कार्मिकों को उक्त भूखण्ड आवंटन दिनांक 02.09.2008 को आवंटित किये गये थे। राज्य सरकार का उक्त आदेश आवंटन के चार वर्ष पश्चात् का हैं साथ ही निवेदन है कि उक्त कर्मचारियों को उपरोक्त भूखण्ड रियायती दर पर आवंटन नहीं करके आरक्षित दर पर आवंटित किये गये हैं।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(1230) न.वि.वि/3/2011 दिनांक 23.11.2012 एवं क्रमांक प.3(570)नविवि/3/2010 दिनांक 25.03.2013 की अनुपालना में उपरोक्त तीनों कार्मिकों को आवंटित भूखण्डों को दिनांक 17/06/2013 को निरस्त करते हुवे कीमत राशि एवं साईट प्लान शुल्क सहित राशि आयुक्त महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण की स्वीकृति उपरान्त लौटाये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी एवं आवंटित भूखण्डों को पुनः निलामी मे रखें जाने के निर्देश दिये।

उक्त आदेश से व्यथित होकर प्राधिकरण के विरूद्ध तीनों कार्मिकों ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में भूखण्ड पुनः बहाल करने हेतु सिविल रिट संख्या 9230/13 दायर कर रखी है। जिसमें प्राधिकरण पक्षकार हैं। राज्य सरकार के उक्त आदेश भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगे या नहीं ? और यदि भूतलक्षी प्रभाव से ये आदेश लागू नहीं होने हैं, तो उक्त प्रकरण में क्या अग्रिम कार्रवाई की जानी हैं। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में सिविल रिट संख्या 9230/13 विचाराधीन है। अतः प्रकरण में फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: बालकृष्ण शिक्षण संस्था को विद्यालय भवन हेतु खसरा संख्या 812 ग्राम कैरू में 5 बीघा भूमि आवंटन बाबत।

श्री कानाराम फडाक द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

1. संस्थान का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
2. गत तीन वर्ष की ओडिट रिपोर्ट।
3. संस्थान का विधान।
4. संस्थान विधान नियमावली।

आदि प्रस्तुत कर एवं नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत परिशिष्ट 1 एवं प्रपत्र 'अ' प्रस्तुत किया है। संस्थान द्वारा खसरा नं0 812 ग्राम कैरू में विद्यालय एवं छात्रावास हेतु 5 बीघा भूमि को आवंटन करने का अनुरोध किया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार खसरा नं0 812 में विद्यालय एवं छात्रावास हेतु भूमि रिक्त दर्शाई है। नवीन आवंटन नीति अनुसार विद्यालय हेतु माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर विद्यालय संभागीय मुख्यालय पर अधिकतम क्षेत्रफल– 4000 वर्गमीटर तथा संभागीय मुख्यालय छोडकर अन्यत्र अधिकतम क्षेत्रफल– 6000 वर्गमीटर तक आवंटन करने का प्रावधान है।

10/3/17

विद्यालय हेतु हॉस्टल के लिये नवीन आवंटन नीति 2015 में कोई प्रावधान नहीं है। जबकि शिक्षण संस्थान विद्यालय एवं हॉस्टल भूमि हेतु 5 बीघा आावंटन करने की मांग की है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को आयोजना शाखा से परीक्षण करवाकर प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 15 :: भूखण्ड संख्या बी–313, अरणा विहार आवासीय योजना में आय वर्ग बाबत विसंगति के कम में निर्णय हेतु।

प्रार्थी द्वारा प्राधिकरण की आवासीय योजना अरणा विहार में आवेदन किया था। श्री प्रदीप पुरोहित को अरणा विहार योजना में लौटरी द्वारा भूखण्ड सं0 303, सेक्टर– बी, भूखण्ड का क्षेत्रफल– 8X15 मी0 = 120 वर्गमीटर को आवंटन हुआ है।

प्रार्थी द्वारा आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें आय 180000/– वार्षिक दर्शाई है। जिसके अनुसार प्रार्थी की मासिक आय 15000/– होती है। आयग्रुप 15001/– से 22000/– तक है। आय ग्रुप से आय 1/– कम दर्शाई है। उपरोक्त प्रकरण में निदेशक विधि की टिप्पणी आयुक्त महोदय द्वारा ली गई। निदेशक विधि की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण को कार्यकारी समिति में रखकर निस्तारण करने की सिफारिश की गई है। अतः प्रकरण निर्णयार्थ हेतु कार्यकारी समिति में रखा जा रहा है।

निर्णय

उक्त प्रकरण में एजेण्डा जारी करते समय भूखण्ड संख्या बी–313 अंकित हो गया था जबकि यह वास्तव मे भूखण्ड संख्या 303 अरणा विहार योजना है। पत्रावली के परीक्षण में पाया गया कि प्रार्थी द्वारा पंजीकरण राशि आयग्रुप 15001 से 22000 तक की ही जमा करायी थी। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड संख्या 303 क्षैत्रफल 120 वर्ग मीटर को बहाल रखने का निर्णय लिया गया एवं तदनुसार संबंधित आय वर्ग की राशि वसूल की जाये।

प्रस्ताव संख्या 16 :: झरना विहार योजना भूखण्ड संख्या अ–11 की अमानत राशि पुनः लौटाने अथवा नहीं लौटाने के संबध में निर्णय हेतु।

श्री राम कुमार पुत्र श्री धन्नाराम द्वारा प्राधिकरण की आवासीय योजना झरणा विहार योजना में आवेदन किया था। प्रार्थी सैनिक कोटे के अंतर्गत आवेदन किया है। जिसमें लौटरी द्वारा प्रार्थी को भूखण्ड सं0 11 सेक्टर ऐ (9X18 वर्गमीटर) का आवंटन हुआ है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे द्वारा आवेदन 8X15 =120 वर्गमीटर में किया है जबकि प्राधिकरण द्वारा मुझे 9X18 साईज में लौटरी द्वारा आवंटन किया है इसमें उल्लेखनिय है कि प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र के संलग्न आय प्रमाण पत्र 25880/– प्रति माह दर्शाई थी जो 8X15 साईज की आय वर्ग15001/– से 22000/– है जिससे आय आयग्रुप से अधिक होती है जो आवेदन निरस्त किया जा सकता था किंतु प्राधिकरण द्वारा प्रार्थी सैनिक होने से इनको लौटरी में शामिल करते हुए 9X18 साईज का भूखण्ड लौटरी में आवंटन

हुआ है जिसका आय वर्ग 220001/— से 30000/— प्रतिमाह है अतः प्रार्थी की आय अनुसार यह आयग्रुप सही था।

प्रार्थी ने प्रार्थनाा पत्र में निवेदन किया कि प्राधिकरण द्वारा 9X18 साईज का भूखण्ड आवंटन किया गया है तथा आवंटन पत्र के अनुसार भूखण्ड की कीमत 880010/— जमा कराने का पत्र प्राप्त हुआ है प्रार्थी उक्त भूखण्ड की राशि जमा कराने में असमर्थ है तथा उक्त भूखण्ड. आवंटन निरस्त कर प्रार्थी की जमा अमानत राशि 20000/— पुनः लौटाने का अनुरोध किया है।

प्रकरण में दोनों तरफ से गलती है प्रार्थी द्वारा आयग्रुप अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तथा प्राधिकरण द्वारा प्रार्थी को अगले ग्रुप में भूखण्ड आवंटन किया है वो विभागीय गलती रही। अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को भूखण्ड आवंटन आय ग्रुप के अनुसार सही हुआ था लिहाजा प्रार्थी को 15 दिवस का नोटिस जारी कर निर्धारित राशि जमा कराने के लिए सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया। यदि प्रार्थी द्वारा निर्धारित राशि जमा नहीं करायी जाती है तो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: ग्राम मोकलावास खसरा संख्या 152 के प्रस्ताव बाबत अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के कम में

सरपंच ग्राम पंचायत रोहिला कलां पंचायत समिति मण्डोर (जोधपुर) द्वारा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोकलावास खसरा नं0 152 में स्कूल में जाने–आने हेतु ग्रेवल सड़क निर्माण हेतु पंचायत समिति द्वारा एन.ओ.सी. की प्राधिकरण से मांग की है।

पटवारी रिपोर्ट अनुसार मौके पर उक्त रास्ता कच्चा एवं चालू रास्ता है। उक्त खसरा नं0 152 ग्राम मोकलावास राजस्व रिकॉर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। उपरोक्त रास्ता ग्राम रोहिला खुर्द के खसरा नं0 21 में स्थित राजकीय विद्यालय में आने जाने हेतु प्रयोग में किया जाता है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त रास्ता का क्षेत्रफल 1650X15 फीट दर्शाया है। एन.ओ.सी. हेतु प्राधिकरण बैठक दिनांक 09/09/2016 के प्रस्ताव सं0 7 में निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय महात्मा गांधी नरेगा में स्वीकृत कार्यों के लिए यदि भूमि रिकॉर्डेड रास्ता व नाडी/तालाब आदि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है, के संबंध में अनापति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय है। उपरोक्त प्रकरण में रिकॉर्डेड रास्ता नहीं होने के उपरांत खसरा नं0 152 ग्राम मोकलावास में रास्ता हेतु एन.ओ.सी. की मांग की है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि उक्त भूमि रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज नहीं है लिहाजा खसरा संख्या 152 ग्राम मोकलवास की भूमि पर रास्ता हेतु पंचायत की अनापत्ति के आवेदन को निरस्त किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 18 :: भूखण्ड संख्या 44 सेक्टर–4 रामराज नगर की लीज डीड जारी करने के संबंध में।

10/3/17

प्रार्थी श्री लालाराम जोलिया पुत्र श्री जेठाराम को तात्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर की आवासीय योजना दन्तोपन्त ठेगडी नगर में भूखण्ड 568 लौटरी द्वारा आवंटन हुआ था। जिसका क्षेत्रफल 39X69 = 250 वर्गमीटर है। प्रार्थी द्वारा आवंटित भूखण्ड की पूर्ण राशि भी जमा करा दी थी।

प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड सं0 568 दंतोपंत ठेगडी नगर पर अतिक्रमण होने से प्रार्थी को प्राधिकरण बैठक दिनांक 13/04/2010 के प्रस्ताव सं0 4(3) के निर्णय की पालना में वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन की लौटरी दिनांक 14/10/2010 में भूखण्ड सं0 44 से0 4 रामराज नगर में आवंटन किया गया था।

भूखण्ड सं0 44 से0 4 रामराज नगर की मौका रिपोर्ट संबंधित JEN से मंगवाने पर भूखण्ड का माप 43 '4'' X 76'.6'' X 69' + 76' 6'' =404.93 वर्गमीटर यानि प्रार्थी

2

को आंवटित भूखण्ड सं0 568 का माप 39X69 = 250 वर्गमीटर आवंटित है। उसके अनुसार 154.93 वर्गमीटर अधिक क्षेत्रफल है। आयग्रुप अनुसार प्रार्थी को 250.00 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन किया जाना था जबकि भूखण्ड का अधिक क्षेत्रफल 154.93 वर्गमीटर है। अतः नियमानुसार भूखण्ड का अधिकं क्षेत्रफल 100.00 वर्गगज तक का नियमन डबल ऑफ द रिजर्व प्राईज लेकर किया जा सकता है! किंतु भूखण्ड 100.00 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल है।

तात्कालीन उपनगर नियोजक की टिप्पणी अनुसार भूखण्ड सं0 44 से0 4 रामराज नगर भूखण्ड कॉर्नर का है। भूखण्ड मौके पर आयताकार नहीं है। उत्तर– दक्षिण की भुजाओं में काफी अन्तर है। उक्त भूखण्ड का अतिरिक्त भूखण्ड नहीं किया जा सकता है। अतः बढ़े हुए क्षेत्रफल को भूखण्ड सं0 44 से0 4 में शामिल कर बढ़े हुए क्षेत्रफल की नियमानुसार राशि जमा करा ली जावे।

तत्पश्चात प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 17/12/2012 के प्रस्ताव सं0 3 में निर्णय लिया कि कॉर्नर भूखण्ड है अतः इसे निलामी से विक्रय किया जावे। तथा इसके बदले अन्य भूखण्ड उसी ब्लॉक में कॉर्नर नहीं हो, का आवंटन किया जावे।

प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राधिकरण कार्यकारी समिति बैठक 30/07/2014, 31/07/2014 के प्रस्ताव सं0 4(16) के निर्णय की भांति मुझे भी कॉर्नर भूखण्ड आवंटन हुआ उसके अनुरूप मेरे से भी 10 % अतिरिक्त लेकर भूखण्ड सं0 44 से0 4 रामराज नगर का आवंटन किया जाकर लीजडीड जारी का आदेश प्रदान करावें। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति में निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी श्री लाला रमा जेलिया को 250 वर्ग मीटर का भूखण्ड आवंटन हुआ था। दंतोपंत ढेगडी नगर में आवंटित भूखण्ड जिस पर अतिकमण होने के कारण विकल्प स्वरूप श्री जेलिया को रामराज नगर में भूखण्ड संख्या 44 क्षैत्रफल 404.93 वर्ग मीटर आवंटित किया गया। चूंकि रामराज नगर में आवंटित भूखण्ड कॉर्नर का भूखण्ड है लिहाजा श्री लालाराम जेलिया को विकल्प स्वरूप रामराज योजना में समतुल्य क्षैत्रफल एवं सडक की चौड़ाई का अन्य भूखण्ड जो कि कॉर्नर का भूखण्ड नहीं हो, आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 19 :: धारा 67 व धारा 31 से 35 जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम में पीठासीन अधिकारी व कियान्वयन अधिकारी अलग अलग रखने के संबंध में।

10/3/17

जोधपुर विकास प्राधिकरण की धारा 67 जिसमें प्राधिकरण की भूमियों का कतिपय अतिक्रमियों अवैध अतिक्रमण या धारा 31 से 35 तक जिसमें बिना अनूज्ञा निर्माण कार्य, संपरिवर्तन से भिन्न प्रयोजनार्थ भू--उपयोग एवं अन्य कार्य शामिल है, वर्तमान समय में पीठासीन अधिकारी एवं प्रदत्त आदेशों की पालना में आदेश क्रियान्वन अधिकारी दोंनों में तहसीलदार ही अधिकारी हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण एवं $1^1/_2$ वर्ष पूर्व जोधपुर विकास प्राधिकरण में पीठासीन अधिकारी उपायुक्त एवं आदेश क्रियान्वन अधिकारी तहसीलदार अतिक्रमण निरोधक प्रभारी अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी,निरीक्षक आदि होते थे। $1^1/_2$ वर्ष पूर्व धारा 67 एवं धारा 31 से 35 तक में उपायुक्त के साथ सम्बधित जोन के तहसीलदार को भी सामानान्तर रूप से अधिकार दिये परन्तु सभी जोन में उपायुक्त महोदय ने इन धाराओं में अपनी शक्तियों का प्रयोग बन्द कर दिया जिससे तहसीलदारों पर कार्य भार ज्यादा बढ़ गया हैं। ज्ञातव्य है कि तत्समय जे.डी.ए. में केवल दो ही उपायुक्त पदस्थापित थे, परन्तु वर्तमान समय में सभी जोन में उपायुक्त पदस्थापित है, एवं तहसीलदार के 2 पद पर पदस्थापन्न है, लिहाजा धारा 67 एवं धारा 31 से 35 तक का सम्पूर्ण कार्य पूर्वानुसार उपायुक्त महोदय (सम्बधित जोन) को दिया जाना नियमानुकुल एवं सुविधाजनक तथा श्रेयस्कर होगा।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उक्त प्रस्ताव को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 :: प्राधिकरण के क्षैत्राधिकार में स्थित 395 राजस्व ग्राम व 7 तहसील का क्षैत्राधिकार प्राधिकरण में होने से पद सृजित करने के संबंध में निर्णय बाबत।

प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार में 395 ग्राम व 7 तहसीलों का क्षेत्राधिकार होने से निम्न नव पदों का सजृन आवश्यक व तर्क संगत हैं।

क्र. सं.	नाम पद	स्वीकृत	नवसजृन	योग
1.	तहसीलदार	04	02	06
2.	नायब तहसीलदार	-	06	06
3.	भू.अभिलेख निरीक्षक	-	04	04
4.	पटवारी	08	04	12

जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित सभी भूमियों में अतिक्रमण होने, भूमियों के चिन्हीकरण नव प्रकल्पों को मूर्त रूप देने हेतु इन पदों का सजृन अति आवश्यक हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार पद सृजन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 21 :: जोधाणा जन कल्याण सेवा समिति मानव सेवा आश्रम (वृद्धाश्रम – अनाथालय) के भावी उपयोग के संबंध में निर्णय

10/3/17

जोधाणा जन कल्याण सेवा समिति रूप नगर महामंदिर जोधपुर को दिनांक 11.03.2013 को रूपवाटिका सार्वजनिक उद्यान एवं सामुदायिक भवन रूप नगर महामंदिर जोधपुर को गोद दिया गया था। संलग्न (फोटो प्रति अनुसार) अनुबंध पत्र की फोटो प्रति संलग्न है।

पार्क को गोद देने के बाद प्राधिकरण द्वारा इस भूमि पर ग्राउण्ड फलोर एवं प्रथम फलोर पर विभिन्न कार्यादेशों के द्वारा 3 करोड 77 लाख रूपये का निर्माण कार्य करवाया जिसमें आर्फन चिल्ड्रन हाउस रूप नगर में शेष कार्य के अन्तर्गत रूपये 108.4 लाख तथा वृद्धाश्रम रूपनगर में सामुदायिक भवन का शेष कार्य मद से 65.75 लाख रूपये का कार्य करवाया गया। इस सभी कार्यों की पत्रावलियां ए.सी.बी. जोधपुर विकास प्राधिकरण जांच के अधीन है।

जोधान जन कल्याण सेवा समिति को सिर्फ पार्क एवं सामुदायिक भवन ही गोद दिया गया था। इस संस्था ने वृद्धाश्रम एवं अनाथालय आदि के निर्मित भवनों पर बिना किसी अधिकार के कब्जा कर लिया और इस भवनों में बिना विधिवत् बिजली कनेक्शन के लाईट लेना शुरू कर दिया, जिसके कारण जे.वी.वी.एन.एल. जोधपुर ने उनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाये हैं। इस संबंध में एक जनहित याचिका भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दर्ज की गयी है। जिसमें माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण वर्तमान में इस भवन में निवास कर रहे वृद्धजनों को वहां से अन्यत्र स्थानांतरिक ना करें। साथ ही साथ इस भवन के भावी उपयोग के संबंध में अपना अभिमत आगामी पेशी पर प्रस्तुत करें। तद्नुसार इस संबंध में नीतिगत निर्णय लेने हेतु पत्रावली बैठक में प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि निर्मित भवन का उपयोग वृद्धाश्रम के रूप में ही जनहित में रखा जावे। खुली निविदा के माध्यम से ऐसी स्वयं सेवी संस्था/ सोसायटी/ रजिस्टर्ड संस्था से आवेदन प्राप्त कर प्राधिकरण के हित को दृष्टिगत रखते हुए वृद्धाश्रम का संचालन किसी भी संस्था को दिये का नीतिगत निर्णय लिया जाता है। जिससे प्राधिकरण पर कोई वित्तीय भार नहीं आवे।

प्रस्ताव संख्या 22 :: आर.ओ.बी. सारण नगर के प्रगतिरत् कार्यों को निर्बाध रूप से पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार 16 करोड रूपये की राशि रूडसिको को भुगतान योग्य राशि में से प्रथम किश्त के रूप में 5.00 करोड की राशि के भुगतान के संबंध में।

राज्य सरकार एवं रेल्वे द्वारा Cost Sharing के आधार पर आर.ओ.बी. सारण नगर का निर्माण कार्य कार्यकारी एजेंसी इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड द्वारा करवाया जा रहा है। उक्त परियोजना की कुल लागत 73.73 करोड़ में से 54.02 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा एवं शेष राशि 19.71 करोड़ रेल्वे द्वारा वहन की जानी है। अनुबंध के अनुसार प्राधिकरण द्वारा वहन की जाने वाली राशि रूडसिको द्वारा Loan के रूप में प्राधिकरण को उपलब्ध करवायी जानी थी एवं प्राधिकरण द्वारा रूडसिको को किस्तों में पुर्नभुगतान किया जाना है।

प्राधिकरण द्वारा वहन योग्य राशि 54.02 करोड़ में से 38.38 करोड़ रू. रूडसिको द्वारा कार्यकारी एजेंसी इरकॉन को भुगतान की जा चुकी है जिसका पुर्नभुगतान प्राधिकरण द्वारा रूडसिको को अनुबंध अनुसार त्रैमासिक किस्तों के रूप में नियमित रूप से किया जा रहा है। वर्तमान में वित्त विभाग के निर्देशानुसार शेष लोन राशि (54.02–38.38= 15.64, लगभग 16 करोड़) उपलब्ध नहीं कराई जाकर प्राधिकरण द्वारा ही भुगतान किये जाने के निर्देशों के क्रम में आर.ओ.बी. सारण नगर के प्रगतिरत कार्य को निर्बाध

10/3/17

रूप से पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार 16 करोड़ रूडसिको को भुगतान योग्य राशि में से प्रथम किस्त के रूप में 5 करोड़ के भुगतान हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार 5.00 करोड़ रूपये की राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 23 :: टेन्ट व फर्निचर व विद्युत व्यवस्था के मद में वर्ष 2016–17 में निर्धारित व्यय से अधिक व्यय राज्य सरकार के तीन वर्ष के उपलब्ध में जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम एवं राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह जोधपुर में आयोजित होने से व्यय हुई अधिक राशि के कम में पुनर्विनियोग व स्वीकृति के संबंध में

राज्य सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 09.12.2016ए 11.12.2016 एवं 12.12.2016 को आयोजित बैठक में श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीमान् आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं श्रीमान् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री दुर्गेश बिससा, श्री मानाराम पटेल श्री गजेन्द्रसिंह शेखावत सांसद, श्री नारायण पंचारिया, राज्य सभा सदस्य, श्री घनश्याम औझा महापौर, श्री कैलाश भंसाली, विधायक शहर, श्री महेन्द्रसिंह राठौड अध्यक्ष, जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं उपस्थित विधायक महोदय की उपस्थिति में आयोजित बैठक के निर्णयानुसार श्रीमान् जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा जारी बैठक कार्यवाही विवरण कमांक 3 वर्ष प्रदर्शनी / 2016 / 7228 दिनांक 13.12.2016 द्वारा दिनांक 17.12.2016 से 23.12.16 तक होने वाले जिला स्तरीय प्रदर्शनी एवं विभिन्न कार्यक्रमों में आयोजन / आमसभा के लिए डोम, टेन्ट व अन्य व्यवस्था के लिये जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को निर्देशित किये जाने के फलस्वरूप कार्यादेश कमांक 4514 दिनांक 13.12.2016 के तहत राशि रूपये 61.90 लाख का जारी किया गया।

वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिरिण में उक्त प्रकार के लिये प्रचलित दर संविदा मैसर्स संकलेचा टेन्ट हाऊस (अनुबंध संख्या एफ 38 (10) /2015– 16) की दरें जो कि दिनांक 05.02.17 तक बढाई गई इस निविदा की अनुमानित लागत राशि रूपये 30.00 लाख निर्धारित की गई थी। जिसके विरूद्ध अब तक राशि रूपये 27.00 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

दिनांक 17.12.16 से 23.12.16 तक टेन्ट / डोम व अन्य व्यवस्था के लिये लगभग राशि रू. 61.90 लाख का व्यय हुआ है जो कि मूल स्वीकृत राशि से अधिक होने के कारण एवं बजट का पुनविनियोग (Re-Appropriation) कर अन्य मद से टेन्ट फर्नीचर किराये की मद में स्थानातंरण एवं टेन्ट व्यवस्था के किराये के लिए राशि रूपये 62.00 लाख के अतिरिक्त भुगतान की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन करवाया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण चूंकि राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में टेन्ट, फर्निचर एवं विद्युत व्यवस्था के व्यय से संबंधित है जिसे कि जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में हुई विभिन्न बैठकें जिसमें माननीय सांसद महोदय, महापौर नगर निगम, विधायक जोध्पुर शहर आदि उपस्थित थे एवं इस प्रकरण में बजट का पुनर्विनियोग भी आवश्यक है। जिसके लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया जाना आवश्यक है। अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जावे।

10/3/17

प्रस्ताव संख्या 24 :: विवेक विहार योजना में 33/11 के.वी. जी.एस.एस. एवं 132/33 के.वी. जी.एस.एस. की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत।

प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में विधुतीकरण के कार्य हेतु योजना के सेक्टर-'सी', 'ई' व 'जे' में जी.एस.एस. हेतु आरक्षित भूमियां 33/11 केवी एवं सेक्टर 'जे' में ओसीएफ हेतु आरक्षित 7908.87 वर्गमीटर भूमि में से 5000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने की मांग की गई। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.स	सेक्टर	भूमि का आरक्षित प्रकार	मौके पर आरक्षित भूमि का क्षेत्रफल	आवंटन नीति-2015 के तहत प्रेषित किये गये प्रस्ताव में क्षेत्रफल
1.	सी	जी.एस.एस. हेतु आरक्षित	1432.00 वर्गमीटर	1000 वर्गमीटर
2.	ई	जी.एस.एस. हेतु आरक्षित	1812.00 वर्गमीटर	1000 वर्गमीटर
3.	जे	जी.एस.एस. हेतु आरक्षित	1674.80 वर्गमीटर	1000 वर्गमीटर
4.	जे	जी.एस.एस. हेतु आरक्षित	7908.87 वर्गमीटर	5000 वर्गमीटर

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक प.3(208) नविवि/3/95 पार्ट जयपुर दिनांक 06.08.2009 के अनुसार राज्य के स्वामित्व वाले पॉवर टर्मिनर्स व विद्युत वितरण कम्पनियों को भूमि उक्त क्षेत्र की प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटित की जावें। प्राधिकरण के अधिशाषी अभियंता (विद्युत) की नोटशीट पर टिप्पणी के अनुसार जे.वी.वी.एन.एल. के आदेश क्रमांक 1220 दिनांक 05.07.2011 के अनुसार 33/11 के.वी. जी.एस.एस. हेतु 1000 वर्गमीटर एवं 132/33 के.वी. जी.एस.एस. हेतु 5000 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता होती है एवं उपरोक्त भूमियां विद्युत विभाग को निःशुल्क आवंटन हेतु प्रस्तावित की गई है। तीन 33/11 के.वी. जी.एस.एस. एवं एक 132/33 के.वी. जी.एस.एस. का निर्माण हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान ये तथ्य प्रस्तुत किया गया कि नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक प.3(208) नविवि/3/95 दिनांक 06.08.2009 के अनुसार राजकीय स्वामित्व वाले पॉवर टर्मिनर्स व विद्युत वितरण कम्पनियों को भूमि उक्त क्षेत्र की प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। इसी प्रकार मुख्य अभियंता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम के आदेश कमांक जे.डी.वी.वी.एन.एल./एमडी/सीई (हेड)/एसई (आरए एण्ड सी) जेयू/2011-12/डी.1220 दिनांक 5 जुलाई 2011 के बिन्दु संख्या 6 में अंकित किया गया है कि जी.एस.एस. के निर्माण हेतु भूमि विकासकर्ता/कॉलोनाईजर/स्थानीय निकाय विभाग द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जावें। ऐसी स्थिति में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं नगरीय विकास विभाग के पत्रों में दर को लेकर विरोधाभाषी स्थिति है।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 26.08.2015 के प्रस्ताव संख्या 13 के अंतर्गत दोनो परिपत्रों का हवाला देकर प्रकरण सम्पूर्ण वस्तुस्थिति के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किया जाकर मार्गदर्शन प्राप्त किया जावें कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के उक्त परिपत्र अनुसार 33 के.वी. जी.एस.एस. के निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर एवं 132 के.वी. जी.एस.एस. हेतु 5000 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता होती है, उक्त निर्धारित सीमा से अधिक भूमि विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को किस दर पर आवंटित की जावें इस संबंध में भी नगरीय विकास विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाकर अधिक क्षेत्र की भूमि के आवंटन की स्वीकृति प्राप्त की जावे।

मार्गदर्शन के संबंध में नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प. 1(58)नविवि/जोधपुर/2015 जयपुर दिनांक 03.5.2016 के अनुसार नवीन आवंटन नीति के तहत प्रस्ताव प्राप्त कर, परीक्षण कर प्रस्ताव अभिमत सहित भिजवाने के निर्देश है। अतः विधुत

विभाग से नवीन आवंटन नीति–2015 के तहत निर्धारित प्रपत्र "स" भरकर प्रस्ताव मंगवाया गया है, तथा नवीन आवंटन नीति के तहत प्रकरण का परीक्षण कर लिया है।

अधिशाषी अभियंता (बी–जोन) जो.वि.वि.नि.लि. जोधपुर द्वारा पत्र क्रमांक अधिशाषी अभियंता/ बी–जोन/जोधपुर/प्रेषित/3265 दिनांक 4.3.2016 के द्वारा जी.एस.एस. के निर्माण हेतु जनहित में निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 27.06.2016 के प्रस्ताव संख्या 4 के अंतर्गत वर्णित भूमि वाणिज्यिक आरक्षित दर पर आवंटन करने की प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को आवंटन की स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प. 1(58)नविवि/जोधपुर/2015 दिनांक 11.08.2016 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में वाणिज्यिक आरक्षित दर पर भूमि आवंटन करने हेतु राज्य सरकार की अनुमति अपेक्षित नहीं होने के कारण जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर निर्णय लिये जाने के आदेश प्रदत्त है। जिसकी पालना में प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 800 दिनांक 06.12.2016 के द्वारा डिस्कॉम से वाणिज्यिक आरक्षित दर पर आवंटन हेतु डिस्कॉम की सहमति पेश करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। डिस्कॉम का प्रतिउत्तर अप्राप्त है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.2016 के आदेश द्वारा राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु विकास प्राधिकरणों/निकायों/न्यासों/नगरीय निकायों को शक्तियां प्रत्यायोजित किये जाने के आदेश प्रदत्त है एवं उपरोक्त सीमा से अधिक आवंटन की स्थिति में प्रस्ताव में औचित्य के राज्य सरकार के स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का आदेश प्रदत्त है।

डिस्कॉम द्वारा भी आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप विद्युतीकरण कार्य करने हेतु 33/11 के.वी. के तीन जी.एस.एस. 1000 वर्गमीटर तक एवं 132/33 केवी का एक सबस्टेशन 5000 वर्गमीटर तक प्रस्ताव प्राधिकरण कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

अधिशाषी अभियंता (विद्युत) जोविप्रा द्वारा अवगत कराया कि विद्युत विभाग द्वारा सशुल्क भूमि लेने में असहमति पेश की गई है।

विद्युत विभाग द्वारा 33 के.वी. के तीन जी.एस.एस. हेतु 1000 वर्गमीटर प्रति जी.एस.एस. एवं 132 के.वी. के एक जी.एस.एस. हेतु 5000 वर्गमीटर तक भूमि के आवंटन एवं दर–निर्धारण हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ/निर्णायार्थ प्रस्तुत है। उक्त एजेण्डा आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।

निर्णय

बैठक में उपस्थित विद्युत विभाग के प्रतिनिधि ने निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया और वाणिज्यिक दरों पर आवंटन प्रस्ताव पर असहमति जाहिर की। बैठक में बाद विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के परिपत्र 2011 एवं नगरीय विकास विभाग के पत्र 2009 का विवरण अंकित करते हुए पकरण राज्य सरकार को आवंटन की अनुशंषा सहित भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 25 :: एम्स को लीज डीड जारी करने के संबंध में

10/3/17

माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा सैद्धान्तिक रूप से लिये गये निर्णय की पालना में संयुक्त शासन सचिव–तृतीय नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक प.3(42) नविवि/3/2004 दिनांक 28.03.2016 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी) जोधपुर को पूर्व में आवंटित भूमि में से ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर को 67 एकड़ अतिरिक्त भूमि निःशुल्क हस्तान्तरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्राधिकरण के मांग–पत्र क्रमांक 319 दिनांक 24.06.2016 के द्वारा, लीज राशि (समयावधि 23.03.2005 से 31.03.2016 तक कुल 11 वर्ष) रू. 11/– एवं एकमुश्त लीज राशि (8 वर्ष) राशि 8/– रू. का मांग–पत्र निदेशक एम्स को प्रेषित किये जाने के उपरान्त एम्स द्वारा जरिये रसीद क्रमांक 9001/3100 दिनांक 28.06.2016 के द्वारा राशि 19/– रू. प्राधिकरण कोष में जमा करवाये गये हैं।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक एफ–46/आवंटन (दक्षिण)/2016/509 दिनांक 01.09.2016 के द्वारा तहसीलदार (दक्षिण) को भौतिक कब्जा सुपुर्दगी का आदेश दिये जाने पर दिनांक 09.09.2016 को तहसीलदार (दक्षिण) व भू.अ. निरीक्षक (दक्षिण) जोविप्रा के द्वारा निदेशक काजरी व उपनिदेशक प्रशासन एम्स जोधपुर के मध्य 67 एकड़ अतिरिक्त भूमि का हस्तान्तरण कब्जा सुपुर्द किया गया है एवं भूमि के सर्वे मानचित्र पर एम्स व काजरी के पृथक से हस्ताक्षर करवायें गये। एम्स को आवंटन–पत्र पृथक से जारी नही किये गये है।

उपनिदेशक प्रशासन एम्स जोधपुर के पत्र क्रमांक प्रशासन/संस्थापन/2016/एम्स जोधपुर/5711 दिनांक 29.06.2016 के द्वारा 67 एकड भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त होने के पश्चात लीजडीड फॉर्म पेश कर एकल पट्टे जारी करने की मांग की गई है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में एम्स को लीजडीड जारी करने के निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पृथक से आवंटन पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है एवं एम्स को लीज डीड जारी की जावे।

प्रस्ताव संख्या 26 :: नई सडक जोधपुर श्री सौदागर अल्लानूर अनवर के भूखण्ड आवंटन प्रार्थना–पत्र के क्रम में निर्णय बाबत।

श्री सौदागर अल्लाह नूर अनवर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सन् 1975 में नई सडक क्षेत्र का निर्माण के दौहारण में प्रार्थी की दुकान अधिगृहत की गई थी। जिसके क्षतिपूर्ति में प्रार्थी को स्टैडियम शॉपिंग सेन्टर में दिनांक 18/10/1975 को विस्थापितों के लिये निर्मित दुकान नं0 195 आवंटित की गई थी। चूंकि उपरोक्त मूल पत्रावली तत्कालीन नगर विकास न्यास वर्तमान में प्राधिकरण में नहीं मिल रही है प्रार्थी उक्त दुकान की कीमत राशि जमा कराने में इच्छुक है किन्तु मूल पत्रावली नहीं होने से राशि नहीं जमा करवाई जा सकती।

प्रकरण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22/06/2011 के प्रस्ताव सं0 09 में निर्णय लिया कि प्रार्थी की दुकान की डुप्लीकेट पत्रावली संधारीत की जावे। तत्पश्चात दिनांक 23/04/2012 को प्रार्थी का प्रकरण पुनः प्राधिकरण बैठक में रखा गया। जिसके प्रस्ताव सं0 11 के अनुसार निर्णय लिया कि प्रार्थी यदि राजीव गांधी आवासीय योजना में भूखण्ड लेना चाहता है तो अपनी प्रस्तुति लिखित में प्रस्तुत करावें। प्रार्थी द्वारा दिनांक 02/07/2012 को सहमति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दुकान के एवज में दुकान अथवा व्यावसायिक भूखण्ड आवंटन करने का अनुरोध किया। प्रार्थी का प्रकरण पुनः कार्यकारी समिति बैठक दिनांक

10/3/17

30/1/2013 में प्रस्ताव सं0 36 में निर्णय लिया कि प्रार्थी की सहमति राजीव गांधी योजना के लिये दी गई है तो योजना के आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित किया जावे। प्रार्थी द्वारा दिनांक 23/11/2016 को पूर्व में प्राधिकरण बैठक एवं कार्याकरी समिति बैठक के लिये गये निर्णय की पालना में राजीव गांधी योजना में भूखण्ड आवंटन करने की सहमति प्रस्तुत की है तथा सहमति में दुकान के एवज में बडे आकार (25 गुणा 50) मीटर कॉनर्र का आवंटन करने का अनुरोध किया है तथा एक प्रार्थना पत्र आयुक्त महोदय को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजीव गांधी योजना में जेइएन साहब द्वारा पत्रावली में भूखण्ड सं0 बी 188 जो कॉनर्र नहीं है तथा उक्त भूखण्ड रिक्त है का आवंटन करने का अनुरोध किया है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णयार्थ विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

श्री सौदागर अल्लानूर की वर्ष 1975 में अवाप्त दुकान के स्वामित्व/ पत्रावली की जांच की जावे। उक्त अवाप्ति/ अधिग्रहण के फलस्वरूप उन्हें स्टेडियम शोपिंग सेंटर में दिनांक 18 अक्टूबर, 1975 को आवंटित निर्मित दुकान संख्या 195 के आवंटन एवं वर्तमान स्थिति का परीक्षण कर स्पष्ट अनुशंषा सहित प्रस्ताव आगामी बैठक में रखा जावे।

प्रस्ताव संख्या 27 :: श्री रविकुमार पुत्र श्री द्वारकानाम को दंतोपंथ ढेगडी नगर चौखा में आवंटित भूखण्ड सख्या 61–ए के संबंध में समायोजन पश्चात् राशि लौटाने के संबध में।

प्रार्थी श्री रवि कुमार व्यास पुत्र श्री द्वारका नाथ को दन्तोपंत ढेगडी नगर, चौखा में भूखण्ड संख्या 61–ए दिनांक 25.07.2008 को लॉटरी द्वारा आवंटन किया गया था । जिसकी आरक्षित दर 975/– व आवंटन दर 585/– वर्गमीटर से 83.61 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन किया गया । जिसकी राशि रूपये 48,912/– प्रार्थी द्वारा जमा करवा कर लीजडीड जारी करने के लिए आवेदन किया गया । कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड सडक सीमा में आ जाने के कारण भौतिक कब्जा सुपुर्द नहीं किया जा सका तथा लीजडीड जारी नहीं की गई ।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 19.10.2015 के प्रस्ताव संख्या 18 के निर्णय अनुसार प्रार्थी को समक्ष भूखण्ड मोगडा कलां राज्य कर्मचारी आवासीय योजना में आवंटन करने का निर्णय लिया गया । कार्यकारी समिति के निर्णय अनुसार स्टेंडिग कमेटी की लॉटरी समिति की बैठक दिनांक 25.04.2016 की पालना में प्रार्थी को राज्य कर्मचारी आवासीय योजना मोगडा कलां में भूखण्ड संख्या 161 क्षैत्रफल 20'×45'=83.61 वर्गमीटर का आवंटन किया गया । तथा दन्तोपंत ढेगडी नगर की आरक्षित दर 4730/– वर्गमीटर से अन्तर राशि 1,51,561/– लौटाने योग्य आवंटन पत्र में दर्शाई गई है ।

कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर भूखण्ड का नाप 20'×40'=74.32 वर्गमीटर होने के कारण प्रार्थी की लीजडीड जारी की गई । प्रार्थी द्वारा राशि रिफण्ड करने की मांग की गई ।

प्रकरण में दन्तोपंत ढेगडी नगर की वर्तमान आरक्षित दर 4730/– वर्गमीटर से 74.32 वर्गमीटर की राशि 3,51,534/– व मोगडा कलां की आरक्षित दर 3520/– वर्गमीटर से 74.32 वर्गमीटर की राशि 2,61,606/– समायोजन के पश्चात् 89,928/– लोटाने योग्य बनती है । लीज राशि पूर्व में एक मुश्त जमा है । प्रकरण कार्यकारी समिति में अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ पेश है ।

10/3/17

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रस्तावानुसार समायोजन पश्चात् अधिक जमा राशि रिफण्ड करने की नियमानुसार स्वीकृति जारी की जावे।

प्रस्ताव संख्या 28 :: श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री देवकिशन को दंतोपंथ ढेगडी नगर में आवंटित भूखण्ड संख्या 2 के कम में समायोजन पश्चात् शेष राशि लौटाने बाबत।

प्रार्थी श्री श्याम सुन्दर सैन पुत्र श्री देवकिशन को दन्तोपंत ढेगडी नगर, चौखा में भूखण्ड संख्या 02 दिनांक 25.07.2008 को लॉटरी द्वारा आवंटन किया गया था । जिसकी आरक्षित दर 975/– वर्गमीटर से 25'×49'=113.81 वर्गमीटर की राशि 1,10,965/– जमा कराई गई । प्रार्थी ने लीजडीड जारी करने के लिए आवेदन किया । कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड सडक सीमा में आ जाने के कारण भौतिक कब्जा सुपुर्द नहीं किया जा सका तथा लीजडीड जारी नहीं की गई ।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 19.10.2015 के प्रस्ताव संख्या 18 के निर्णय अनुसार प्रार्थी को समक्ष भूखण्ड मोगडा कलां राज्य कर्मचारी आवासीय योजना में आवंटन करने का निर्णय लिया गया । कार्यकारी समिति के निर्णय अनुसार स्टेंडिग कमेटी की लॉटरी समिति की बैठक दिनांक 25.04.2016 की पालना में प्रार्थी को राज्य कर्मचारी आवासीय योजना मोगडा कलां में भूखण्ड संख्या 255 क्षैत्रफल 25'×49'=113.81 वर्गमीटर का आवंटन किया गया । जिसकी आरक्षित दर 3520/– वर्गमीटर से आवंटन किया गया तथा दन्तोपंत ढेगडी नगर की आरक्षित दर 4730/– वर्गमीटर से अन्तर राशि 1,37,709/– लौटाने योग्य आवंटन पत्र में दर्शाई गयी है ।

कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर भूखण्ड का नाप 25'×50'=116.12 वर्गमीटर होने के कारण प्रार्थी की लीजडीड जारी की गई । प्रार्थी द्वारा राशि रिफण्ड करने की मांग की गई ।

प्रकरण में दन्तोपंत ढेगडी नगर की वर्तमान आरक्षित दर 4730/– वर्गमीटर से 116.12 वर्गमीटर की राशि 5,49,248/– व मोगडा कलां की आरक्षित दर 3520/– वर्गमीटर से 116. 12 वर्गमीटर की राशि 4,08,742/– समायोजन के पश्चात् 1,40,506/– लोटाने योग्य बनती है । प्रार्थी के भूखण्ड की एक मुश्त लीज राशि 10,219/– प्रति वर्ष से 8 वर्ष की जमा करने पर राशि 81,752/– का समायोजन करने के पश्चात् शेष राशि रूपये 58,754/– लौटाने योग्य है। प्रकरण कार्यकारी समिति में अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ पेश है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रस्तावानुसार समायोजन पश्चात् अधिक जमा राशि रिफण्ड करने की नियमानुसार स्वीकृति जारी की जावे।

प्रस्ताव संख्या 29 :: श्रीमती निर्मला खेमलानी पत्नि श्री हनुमंत को दन्तोपंथ ठेगडी नगर में आवंटित भूखण्ड संख्या 89 में समायोजन पश्चात् राशि लौटाने बाबत।

प्रार्थीनी श्रीमति निर्मला खेमलानी पत्नी श्री हनुमतराम को दन्तोपंत ढेगडी नगर, चौखा में भूखण्ड संख्या 89 दिनांक 25.07.2008 को लॉटरी द्वारा आवंटन किया गया था । जिसकी

10/3/17

आरक्षित दर 975/– वर्गमीटर से 25'×49'=113.81 वर्गमीटर की राशि 1,10,965/– जमा कराई गई । प्रार्थी ने लीजडीड जारी करने के लिए आवेदन किया । कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड सडक सीमा में आ जाने के कारण भौतिक कब्जा सुपुर्द नहीं किया जा सका तथा लीजडीड जारी नहीं की गई ।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 19.10.2015 के प्रस्ताव संख्या 18 के निर्णय अनुसार प्रार्थी को समक्ष भूखण्ड मोगडा कलां राज्य कर्मचारी आवासीय योजना में आवंटन करने का निर्णय लिया गया । कार्यकारी समिति के निर्णय अनुसार स्टेंडिग कमेटी की लॉटरी समिति की बैठक दिनांक 25.04.2016 की पालना में प्रार्थी को राज्य कर्मचारी आवासीय योजना मोगडा कलां में भूखण्ड संख्या 254 क्षैत्रफल 25'×49'=113.81 वर्गमीटर का आवंटन किया गया । जिसकी आरक्षित दर 3520/– वर्गमीटर से आवंटन किया गया तथा दन्तोपंत ढेगडी नगर की आरक्षित दर 4730/– वर्गमीटर से अन्तर राशि 1,37,709/– लौटाने योग्य आवंटन पत्र में दर्शाई गयी है ।

कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर भूखण्ड का नाप 25'×50'=116.12 वर्गमीटर होने के कारण प्रार्थी की लीजडीड जारी की गई । प्रार्थी द्वारा राशि रिफण्ड करने की मांग की गई ।

प्रकरण में दन्तोपंत ढेगडी नगर की वर्तमान आरक्षित दर 4730/– वर्गमीटर से 116.12 वर्गमीटर की राशि 5,49,248/– व मोगडा कलां की आरक्षित दर 3520/– वर्गमीटर से 116.12 वर्गमीटर की राशि 4,08,742/– समायोजन के पश्चात् 1,40,506/– लोटाने योग्य बनती है । प्रार्थी के भूखण्ड की एक मुश्त लीज राशि 10,219/– प्रति वर्ष से 8 वर्ष की जमा करने पर राशि 81,752/– का समायोजन करने के पश्चात् शेष राशि रूपये 58,754/– लौटाने योग्य है। प्रकरण कार्यकारी समिति में अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ पेश है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रस्तावानुसार समायोजन पश्चात् अधिक जमा राशि रिफण्ड करने की नियमानुसार स्वीकृति जारी की जावे।

प्रस्ताव संख्या 30 :: ग्राम पंचायत कुडी भगतासनी के लिए विवेक विहार योजना में ग्राम पंचायत भवन हेतु भूमि आवंटन बाबत।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 27.06.2016 के प्रस्ताव संख्या 20 के अनुसार आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप विवेक विहार येाजना के रिवाइज्ड ले–आउट प्लान के सेक्टर 'सी' में सरकारी कार्यालयों एवं पुलिस स्टेशन प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में से ग्राम पंयायत भवन हेतु पौन बीघा भूमि आवंटन करने का सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण के पत्र कमांक एफ–46/आवंटन (दक्षिण)/2016/546 दिनांक 09.09.2016 के द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने पर संयुक्त शासन सचिव–तृतीय नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र कमांक प.1(51) नविवि/जोधपुर/2016 जयपुर दिनांक 05.12.2016 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में 3/4 (पौन) बीघा भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई। परन्तु आदेश में भूमि का आवंटन निःशुल्क किया जाना है अथवा कीमतन राशि वसूल कर किया जाने का उल्लेख नहीं था।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के नवीन आदेश कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 25.11.2016 में राजकीय

10/3/17

विभागों के उनके कार्यालय, इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां विकास प्राधिकरण/न्यास/नगरीय निकाय को प्रत्यायोजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक/कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ग्राम पंचायत भवन हेतु भूमि आवंटन की शक्तियां प्राधिकरण में निहित होने से प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 31 :: बरकतुल्लाह खां स्टेडियम के आवंटन नियम/ विनियम बाबत प्रस्ताव

बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम खेल मैदान, कमरे एवं हॉल का आवंटन करने के संबंध में विभिन्न समाज/सरकारी कार्यालय/संस्थान आदि के आवेदन पत्र प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु प्राप्त होने पर स्टेडियम का आवंटन करने के संबंध में नियम एवं शर्ते का निर्धारण नही होने पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्राधिकरण के पत्र कमांक एफ–46/आवंटन (दक्षिण)/2016/910 दिनांक 01.03.2016 के द्वारा सचिव–अध्यक्ष, निदेशक अभियांत्रिकी–सदस्य सचिव, निदेशक विधि–सदस्य, उपायुक्त (दक्षिण)–सदस्य एवं प्रभारी अधिकारी (बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम) कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा आवंटन के संबंध में निम्नानुसार बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम के आवंटन संबंधित नियम/उपनियम बनाने/आगामी आदेशों तक स्टेडियम आवंटन संबंधित प्रस्तावित सामान्य प्रावधान तैयार किया गयाः–

क्र.स.	विवरण		नियम एवं शर्ते
1.	आवेदन हेतु मापदण्ड एवं धरोहर राशि	सरकारी	सरकारी आवेदन को प्राईवेट आवेदन पत्र की तुलना में प्राथमिकता दी जायेगी। सरकारी विभाग का आवेदन पत्र जिलास्तरीय सर्वोच्य अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जावेगा तथा सरकारी विभाग हेतु धरोहर राशि जमा नही करानी होगी।
		प्राईवेट	व्यक्तिगत आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा अर्थात् अमान्य होगें। समाज/समिती/कम्पनी के लैटर हैड पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर युक्त आवेदन पर ही विचार किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ 25,000 रु./– धरोहर राशी (डी.डी/बैकर्स चैक) सलंग्न की जानी अनिर्वाय होगी, अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा। जिस तिथी के लिए स्टेडियम आंवटन चाहा गया है उस तिथी से कम से कम 15 दिवस पूर्व आवेदन करना होगा। एक ही समय में, एक से अधिक सस्थानों के आवेदन प्राप्त होने पर सरकारी विभाग को प्राथमिकता दी जायेगी एंव विभिन्न आवेदन एक साथ प्राप्त होने पर आवेदन पत्र को प्राथमिकता नही देकर आवंटन निर्धारण हेतु अध्यक्ष/आयुक्त महोदय का निर्णय अन्तिम/मान्य होगा।
2.	आवंटन का प्रयोजन	सरकारी /प्राईवेट	स्टेडियम खेल मैदान केवल क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु ही आवंटित किया जायेगा। सरकारी कार्यकम/राष्ट्रीय महत्व के कार्य हेतु स्टेडियम आवंटन किया जा सकेगा। अन्य प्रयोजनार्थ हेतु आवंटन नहीं किया जायेगा।
3	दर	सरकारी	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के सरकारी विभागो को स्वीकृत दरो की 25 प्रतिशत रियायती–दर पर आवटंन किया जा सकेगा। सरकारी विभाग को निःशुल्क आवंटन का अधिकार प्राधिकरण का होगा।
		प्राईवेट	स्टेडियम खेल मैदान हेतु मैदान किराया प्रतिदिन रु 30,000/– प्रत्येक कमरे हेतु प्रतिदिन रु. 1,000/– एंव प्रत्येक हॉल हेतु प्रतिदिन रु. 2,000/– शुल्क देय होगा। निःशुल्क आवंटन नहीं किया जा सकेगा। नियमानुसार सर्विस टैक्स अलग से देय

			होगा।
4.	मॉग पत्र	सरकारी	सरकारी विभाग हेतु इस नियम में छूट रहेगी।
		प्राईवेट	मॉग पत्र जारी होने पर 24 घण्टे के भीतर राशी जमा करानी अनिर्वाय होगी अन्यथा आवेदन /मॉंग पत्र निरस्त समझा जावेगा।
5.	आवंटन की अधिकतम समय अवधि	सरकारी	सरकारी विभाग/सरकारी कार्यक्रम हेतु इस नियम में छूट रहेगी।
		प्राईवेट	समाज/संस्था/कम्पनी आदि को क्रिकेट प्रतियोगिता हेतु अधिकतम 15 दिवस हेतु ही आवंटन जारी किया जा सकेगा। क्रिकेट प्रतियोगिता हेतु खेल मैदान प्रातः 8.00 बजे से भाम 6.00 बजे तक खेलने की अनुमति दी जायेगी। प्रतियोगिता के दौरान रात्रि काल में फ्लड लाइटो का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। कमरे व हॉल का उपयोग प्रातः 9.00 बजे से अगले दिन प्रातः 9.00 बजे तक (24 घन्टे) किये जाने की अनुमति दी जायेगी।
6.	आवंटन निरस्त एवं धरोहर राशि वापसी के प्रावधान	सरकारी	कोई मापदण्ड लागू नही होगे।
		प्राईवेट	धरोहर–राशि एंव मैदान–किराया की राशि जमा होने के पश्चात् अगर किसी कारणवश स्टेडियम मैदान/कमरे/हॉल उपयोग में नही लिया जाता हैं या आवटंन निरस्त करने हेतु आवेदन किया जाता हैं, तो धरोहर राशि एंव किराये की जमा राशि वापस नही लौटाई जायेगी। किसी भी प्रकार की टूट–फुट /क्षति/गन्दगी की क्षतिपूर्ति जमा धरोहर राशि में से राशि की कटौती की जावेगी। धरोहर राशि की वापसी स्टेडियम के अधिशाषी अभियंता की एन.ओ.सी. के बाद जारी की जायेगी।
7.	वाद/शिथिलता	सरकारी /प्राईवेट	वाद की स्थिति में या नियम में शिथिलता हेतु अध्यक्ष/आयुक्त महोदय का आदेश मान्य होगा।

अतः बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम के आवंटन संबंधित नियम/उपनियम बनाने/आगामी आदेशों तक स्टेडियम आवंटन संबंधित प्रस्तावित सामान्य प्रावधान प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में निम्नलिखित संशोधन के साथ सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदित करने का निर्णय लिया गयाः–

1– बरकतुल्लाह खां स्टेडियम मैदान का किराया प्रतिदिन 30,000/– रूपये के स्थान पर 20,000/– (बीस हजार मात्र) प्रतिदिन निर्धारित किया जावे

2– यदि रात्रिकालीन/डे–नाईट क्रिकेट मैच आयोजित करवाया जाता हो तो इसके लिए 50,000/– (पचास हजार रूपये) प्रति घण्टा की दर से राशि फलड लाईटों हेतु किराये के अतिरिक्त पृथक से वसूल की जाकर अनुमति दी जा सकती है। शेष उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार ही अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया एवं इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव का अन्तिम अनुमोदन प्राधिकरण की आगामी बैठक में करवाया जावे बरकतुल्लाह खां स्टैडियम के आवंटन के संबंध में दिनांक 3 मार्च, 2017 के पश्चात् प्राप्त होने आवेदन पत्रों पर इस निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाकर संशोधित दर से राशि वसूल की जावे।

प्रस्ताव संख्या 32 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आवासीय योजना के प्रारम्भ एवं लॉटरी के समय प्राधिकरण कार्यालय में स्टॉल लगाने हेतु अनुमति जारी करने के लिए शुल्क निर्धारण बाबत।

10/3/17

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा विभिन्न आवासीय योजनाओं के शुभारंभ एवं लॉटरी के समय प्राधिकरण में स्टॉल लगाने हेतु बैंकों द्वारा मांग की जाती है।

अतः बैंक /विभिन्न संस्थाओं को उनके आवेदन पर प्राधिकरण में अस्थाई रूप से स्टॉल आवंटन हेतु दर का निर्धारण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

उक्त स्टॉल हेतु न्यूनतम 10 फीट गुणा 10 फीट के स्थान के लिए एक दिवस (प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक) के लिये न्यूनतम 1000/– शुल्क के रूप में लिये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से 10 फीट गुणा 10 फीट के स्थान के लिए एक दिवस प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक बैंक/विभिन्न संस्थाओं को उनके आवेदन पर प्राधिकरण में अस्थायी रूप से स्टॉल/कैनोपी जो कि उनके स्वयं के द्वारा लगायी जावेगी, के लिए 2000/– रूपये प्रति दिवस की राशि शुल्क निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु प्राधिकरण द्वारा किसी भी प्रकार का विद्युत कनेक्शन एवं अन्य सुविधा नहीं दी जावेगी।

प्रस्ताव संख्या 33 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षैत्राधिकार में आने वाले मैरिज गार्डन के संचालन के संबंध में नियम/ विनियम/ उपनियम बनाने के कम में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षैत्राधिकार में आने वाले मैरिज गार्डन/मैरिज पैलेस के संचालन के संबंध में नियम/विनियम/ उप नियम बनाने के लिए जोधपुर नगर निगम विवाह एवं समारोह स्थल की उपविधि, 2015 प्रस्तुत किया गया। जो इस कार्यवाही विवरण के परिशिष्ट–2 के रूप में संलग्न है, लागू करने के संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम, जोधपुर में प्रचलित नियम का अध्ययन कर नियम प्रस्तावित करने के लिए उप सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है। उक्त कमेटी के सदस्य सचिव श्री नन्दलाल, सहायक विधि परामर्शी होंगे तथा तहसीलदार–पश्चिम, तहसीलदार–दक्षिण, मुख्य लेखाधिकारी सदस्य होंगे। उक्त समिति परीक्षण कर प्रारूप तैयार कर 7 दिवस में प्रस्तुत करेगी जिससे कि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की आगामी बैठक में प्रारूप के संबंध में निर्णय लिया जा सके।

प्रस्ताव संख्या 34 :: कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 27 जून, 2016 के प्रस्ताव संख्या 21 द्वारा पब्लिक वर्क्स कमेटी का गठन किया गया था, के संबंध में पुनः विचार हेतु।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 11.01.2016 के प्रस्ताव सं. 24 के अनुसार राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के अध्याय सं. 2 के अनुसरण में सेवाओं/माल के उपापन के लिए उपापन समितियों का गठन किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के अनुसार 50 लाख रू से अधिक के उपापनों के लिए गठित उपापन समिति में बतौर सदस्य सचिव की उपस्थापित किये जाने का प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष रखा जाता है।

10/3/17

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण को फिलहाल पेडिंग रखने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 35 :: ग्रामीण क्षैत्र में होने वाले विकास कार्यों के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने की अनिवार्यता को समाप्त करने के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षैत्रों में कटाण, गौचर, गैर मुमकिन पहाड, गैर मुमनि नाडी आदि में होने वाले विकास कार्यों जैसे कि तालाब जीर्णोद्धार, नाडी खुदाई, कटाण के रास्ते, कच्ची सडक का निर्माण व अन्य कार्य जो महानरेगा के अन्तर्गत/ पंचायत/ जिला परिषद की स्वीकृति से करवाये जा रहे हो उसमें संबंधित विभाग द्वारा कार्य सम्पादन पूर्व प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता रहती है।

इसके अतिरिक्त सरकारी भवन यथा स्कूल, आंगनवाडी, पटवार भवन, पीएचसी, सीएचसी, उप स्वास्थ्य केन्द्र, खेल मैदान इत्यादिजो रेकर्ड में सार्वजनिक स्थल एवं सरकारी भवन के रूप मे दर्ज नहीं है परन्तु पिछले कई वर्षों से सार्वजनिक स्थल एवं सरकारी भवन के रूप में उपयोग में लिये जा रहे हैं ऐसे सार्वजनिक स्थल एवं सरकारी भवन की चार दीवारी निर्माण/ मरम्मत/ जीर्णोद्धार कार्य अथवा अन्य कार्य करवाने हेतु भी संबंधित विभाग द्वारा कार्य सम्पादन पूर्व प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता रहती है।

उपरोक्त प्रकरणों में जनहित को देखते हुए, प्रकिया में लगने वाले समय को कम करने एवं कार्य को सुगमता प्रदान करने हेतु उपरोक्त कार्यों को पंचायत या अन्य सरकारी संस्था द्वारा करवाये जाने पर प्राधिकरण से किसी भी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्राप्ति की अनिवार्यता को समाप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है।

इसके अतिरिक्त औरण, आगौर, गैर मुमकिन पहाड, कदिमी रास्ते आदि की भूमि जो राजस्व रेकार्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है उन पर यदि कोई विकास कार्य प्रस्तावित हो तो ऐसे प्रकरणों में आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र जोधपुर विकास प्राधिकरण से प्रापत किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है।

ऐसे प्रकरणों में प्रस्तावों पर अनापत्ति की कार्यवाही हेतु संबंधित जोन तहसीलदार को अधिकृत किया जाता है।

निर्णय

प्रकरण में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों के लिए यह निर्णय लिया जाता है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत होने वाले विकास कार्य जैसे नाडी खुदाई, तालाब खुदाई, सडक निर्माण जो कि राजस्व रेकर्ड में तद्नुसार ही दर्ज है, पर अनापत्ति संबंधित जोन अधिशाषी अभियन्ता/तहसीलदार द्वारा बार परीक्षण जारी की जावे।

प्रस्ताव संख्या 36 :: प्राधिकरण की अतिक्रमण निरोधक शाखा में कार्यरत् साईकल सवार को अतिरिक्त भत्ता दिलाने बाबत।

बैठक में अवगत कराया गया कि प्राधिकरण क्षैत्राधिकार में वर्तमान 395 राजस्व गांव सम्मिलित है जो काफी बडा क्षैत्र हैं जिसमें अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों के नोटिसेज आदि

10/5/17

तामील करवाने पडते हैं। अतः इस कार्य हेतु नियुक्ति साईकल सवार को 1500/– रूपये प्रति माह साईकल भत्ता दिये जाने की प्रस्तावना है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण को लेखा शाखा से परीक्षण करवाकर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 37 :: राजस्थान लोक उपापन नियम (आर.टी.पी.पी.) के प्रावधानों को सम्मिलित करने के प्रयोजनार्थ पूर्व में अनुमत शक्तियों को त्यजित करते हुए प्राधिकरण के लिए नई शक्तियों की अनुसूची राज्य सरकार द्वारा जारी शक्तियों के अनुरूप बनाकर राजपत्र में प्रकाशनार्थ राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने के संबंध में।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि निदेशक–वित्त राजस्थान लोक उपापन नियम के प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए प्राधिकरण के लिए नई शक्तियों की अनुसूची तैयार कर आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से प्राधिकरण की आगामी आयोजित होने वाली बैठक में प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 38 :: आर.ओ.बी. भदवासिया के प्राईस एक्सकलेशन के भुगतान हेतु गठित दर निविदा समिति की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2017 में लिये गये निर्णयों के क्रम में।

लेवल क्रॉसिंग संख्या सी–7 के स्थान पर चार लेन आर.ओ.बी. भदवासिया के निर्माण कार्य का मूल्य वृद्धि प्रकरण निर्धारित करने हेतु आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 23 फरवरी, 2017 को निविदा स्वीकृति की कमेटी की बैठक हुई। जिसमें सचिव, निदेशक–अभियांत्रिकी एवं निदेशक–वित्त उपस्थित हुए। जिसका कार्यवाही विवरण जरिये क्रमांक 829 दिनांक 25 फरवरी, 2017 जारी किया गया। उक्त बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व निर्णय लिया गया कि मूल्य वृद्धि प्रकरण को आगामी प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में स्वीकृति एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जावे।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 39 :: ग्राम मौकलावास में मैसर्स सिद्धु सर्वेयर द्वारा किये गये कार्यों के भुगतान के संबंध में।

तत्कालीन आयुक्त महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा खसरा नं0 512 ग्राम मोकलावास एवं खसरा नं0 761 /22 ग्राम तिंवरी हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 513–519 दिनांक 17.09.2016 के अनुसार नई आवासीय योजना लांच करने हेतु सर्वे टीम के साथ पटवारी एवं संबंधित अधिशाषी अभियंता को एवं सहायक नगर नियोजक को अलग–अलग टीम बनाकर सर्वे करवाई गई। तत्कालीन उपायुक्त पश्चिम जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मौका

10/3/17

पर यथास्थितिवश दिये गये कार्य को आगे बढाया गया। उपरोक्त प्रकरण में सिद्धु सर्वेयर कम्पनी द्वारा प्रस्तुत बिल 1619284/– का भुगतान करने हेतु प्रस्तुत किया है।

चूंकि उपरोक्त प्रकरण में पूर्व में जारी A & F प्रस्तुत बिल से 50 प्रतिशत अधिक बढ जाने से सिद्धु सर्वेयर कम्पनी का बिल का भुगतान किया जाना संभव नहीं था अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णयार्थ एवं विचारार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण प्राधिकरण की अधिकारिता में होने से कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्रकरण कार्यकारी समिति के प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 40 :: विवेक विहार योजना में ग्राम कुडी भगतासनी/ सागरिया में आवंटित भूखण्ड संख्या एन–585 से एन–642 तक के भूखण्डों के भूखण्डों को अतिरिक्त क्षैत्रफल की भूमि देने बाबत।

विवेक विहार आवासीय योजना के ग्राम कुड़ी भगतासनी/सांगरिया के आंवटित भूखण्ड सं. एन–585 से 642 तक के सभी भूखण्ड दिनांक 08.09.2011 की मूल लॉटरी अनुसार 88.88 वर्गगज के अंकित है। तत्पश्चात् नक्शे में संशोधन के कारण उक्त भूखण्डों का माप 88.88 वर्गगज के स्थान पर 111.11 वर्गगज कर दिया गया। भूखण्ड सं. एन–585 से 642 के भूखण्डों में से निम्न भूखण्ड मुआवजे के रूप में अवार्डियों को 88.88 वर्गगज के आधार पर आवंटन किया गया।

क्र. स	अवार्ड सं.	ग्राम	भूखण्ड सं.	रकबा	वर्तमान स्थिति
1	197	कुड़ी भगतासनी	N-586	88.88	लीजडीड जारी नहीं
2	5	सांगरिया	N-589	111.11	लीजडीड जारी नहीं, 27.03.2012 की लॉटरी में रकबा 111.11 व.ग. अंकित
3	449	सांगरिया	N-590	88.88	लीजडीड जारी नहीं
4	225	कुड़ी भगतासनी	N-592	88.88	लीजडीड जारी
5	513	सांगरिया	N-594	88.88	आवंटन पत्र जारी, लीजडीड जारी नहीं
6	560	सांगरिया	N-595	88.88	लीजडीड जारी नहीं
7	256	सांगरिया	N-599	88.88	लीजडीड जारी
8	123	कुड़ी भगतासनी	N-604	88.88	आवंटन पत्र जारी, लीजडीड जारी नहीं
9	241–242/2	कुड़ी भगतासनी	N-606	88.88	लीजडीड जारी नहीं
10	545	सांगरिया	N-612	88.88	लीजडीड जारी नहीं
11	558	सांगरिया	N-616	88.88	लीजडीड जारी नहीं
12	670	सांगरिया	N-617	88.88	लीजडीड जारी नहीं
13	431	सांगरिया	N-618	88.88	लीजडीड जारी नहीं
14	615	सांगरिया	N-619	88.88	लीजडीड जारी नहीं

10/3/17

15	36	सांगरिया	N-621	88.88	लीजडीड जारी नहीं
16	256	सांगरिया	N-623	88.88	लीजडीड जारी
17	119	कुड़ी भगतासनी	N-631	88.88	लीजडीड जारी नहीं
18	532	सांगरिया	N-635	88.88	लीजडीड जारी नहीं

उपरोक्त भूखडों में मौका रिपोर्ट संबंधित कनिष्ठ अभियंता से करवाने पर सूचित किया गया कि भूखण्ड सं. एन–585 से 642 के भूखण्ड नाप 20गुणा50 अर्थात 111.11 व.ग. मौके पर उपलब्ध है एवं सभी पर मुटाम लगे हुए। उक्त ब्लॉक में आने वाले सभी कॉर्नर भी 111.11 व.ग. के है। जिनके मुटाम लगे हूए। कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट दिनांक 20.08.2015 के अनुसार एन–585 से 642 के सभी भूखण्ड संशोधित नक्शे अनुसार है। एवं सड़क सीमा क्षेत्र भी नहीं है। **दिनांक 30.01.2013 को कार्यकारिणी समिति की बैठक के प्रस्ताव सं. 15 के अनुसार निर्णय लिया गया कि " बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 585 से 642 के आंवटियों को विवेक विहार योजना में ही उनके आय वर्ग के अनुसार भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही की जावें। यदि भूखण्ड उपलब्ध नहीं हो तथा संबंधित आवंटी अतिरिक्त क्षेत्रफल की राशि उच्च आय वर्ग के अनुसार भुगतान करने को सहमत हो तो उन्हें अतिरिक्त क्षेत्रफल की राशि उच्च आय वर्ग के अनुसार वसूल कर लीज डीड जारी करने की कार्यवाही की जावें। इस संबंध में सचिव, उपायुक्त–दक्षिण, उप नगर नियोजक की समिति गठित की गयी। उक्त समिति उपरोक्त निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी।** उक्त प्रस्ताव लॉटरी द्वारा भूखण्ड आंवटियों से संबंधित है। उक्त भूखण्ड़ों में से अवार्डियों को मुआवजे के रूप में आवंटित भूखण्ड़ों के बढ़े हुए क्षेत्रफल के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखण्डों के बढे हुए क्षैत्रफल का समायोजन अवार्डियों को मुआवजे के रूप में आवंटन से अवशेष रही भूमि के समायोजन के रूप में किया जाये। जिन अवार्डियों को मुआवजे के रूप में भूमि आवंटन अवशेष नहीं रहता, उनको बढ़े हुए क्षैत्रफल की भूमि योजना की वर्तमान आरक्षित दर की डेढ़ गुणा दर पर आवंटित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 41 :: अवमानना याचिका संख्या 557/ 2014 के कम में श्री दिलीप कोठारी पुत्र श्री जीवनलाल कोठारी की अवाप्तसुदा भूमि के बदले में लगभग 100 मीटर की परिधि में भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में।

प्राधिकरण की विवेक विहार योजना हेतु अवाप्त भूमि के अवार्ड आदेश में अवार्ड सं. 231 खसरा 303 रकबा रूपान्तरित 800 वर्गगज ग्राम कुड़ी भगतासनी श्री दिलीप कोठारी पुत्र जीवनलाल कोठारी के नाम दर्ज है। दिलीप कोठारी ने उक्त भूमि सुखाराम पुत्र जोराराम मेघवाल से जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामें के दिनांक 27.03.1999 को क्रय की। जिसका पट्टा क्रमांक 2957 दिनांक 13.12.1995 रकबा 1333.33 वर्गगज है। श्री दिलीप कोठारी को उक्त अवार्ड की अवाप्त भूमि के मुआवजे के रूप में दिनांक 08.09.2011 की लॉटरी में भूखण्ड ए–540 रकबा 50 वर्गगज, जी–169 रकबा 350 वर्गगज जे–08 रकबा 311.11 वर्गगज व एन–462 रकबा 88.88 वर्गगज का आंवटन किया गया है। इस संबंध में अवार्डी श्री दिलीप कोठारी द्वारा माननीय न्यायालय में नियमों का हवाला देते हुए मांग की कि उसकी भूमि ए सेक्टर में होने के कारण उसे ए सेक्टर में ही भूखण्ड आंवटित किये जावे। अवार्डी द्वारा पुनः न्यायालय में एक अवमानना याचिका 557/2014 माननीय न्यायालय में दायर की गई। जिसके निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा अवार्डी को प्रकरण निस्तारण निश्चित समय करने हेतु आदेश दिया गया। अवार्डी द्वारा एक शपथ पत्र एवं मूल बेचाननामा कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

10/3/17

दिनांक 20 मई 2010 को नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा जारी पत्र के अनुसार निर्णय लिया गया कि, "**कुड़ी भगतासनी ग्राम के मुआवजाधारियों को यथासंभव कुड़ी भगतासनी ग्राम की भूमि एवं सांगरिया ग्राम के मुआवजाधारियों को यथासंभव सांगरिया ग्राम की भूमि में विकसित भूखण्ड आंवटित किये जावें।**"

इस संबंध में दिनांक 10 मई 2011 को आयोजित प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्ताव संख्या 3 में निर्णय लिया गया था, कि, "**ऐसे मुआवजाधारी जिनके भूखण्ड विधिवत रूप से कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित है, को मुआवजे के बदले भूखण्ड यथासंभव अवाप्तसुदा भूखण्ड के लगभग 100 मीटर की परिधि उपलब्ध करवाये जावें।**"

अवार्डी की अवाप्त की गई 800 वर्गगज की भूमि के एवज में 08.09.2011 की लॉटरी में जो भूखण्ड आंवटित किये गयें। उनमें एक भूखण्ड ए–540 रकबा 50 वर्गगज का है। शेष तीन भूखण्ड सेक्टर जी, जे, एन में आंवटित किये गयें। उक्त भूखण्डों का रकबा 750 वर्गगज है। जो पटवारी रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की अवाप्त सुदा भूमि खसरा सं. 303 ग्राम कुड़ी भगतासनी में वर्तमान में ए सेक्टर स्थित है जबकि प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड जी–169, जे–08 व एन–462 ग्राम सांगरिया में है जो अवाप्तसुदा भूमि से 2.5 व 3.00 किमी. दूर है। वर्तमान में सेक्टर ए में जो भूखण्ड रिक्त है। वे निम्न प्रकार हैः–

ए–480 रकबा 350 व.ग. रोड़ 30 फुट ए–492 रकबा 350 व.ग. रोड़ 30 फुट ए–505 रकबा 350 व.ग. रोड़ 30 फुट ए–508 रकबा 350 व.ग. रोड़ 30 फुट ए–523 रकबा 350 व.ग. रोड़ 30 फुट ए–533 रकबा 50 व.ग. रोड़ 30 फुट ए–547 रकबा 50 व.ग. रोड़ 30 फुट ए–548 रकबा 50 व.ग. रोड़ 30 फुट	अवार्डी की अवाप्त भूमि का रकबा 800 वर्गगज है, जिसमें पूर्व में आवंटित भूखण्डों का रकबा 800 वर्गगज है। जी–169 रकबा 350 व.ग. रोड़ 40 फुट जे–08 रकबा 311.11 व.ग. रोड़ 30 फुट एन– 462 रकबा 88.88 व.ग. रोड़ 30 फुट

माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार एवं अवार्डी की मांग अनुसार उसे उसकी अवाप्त 800 व.ग. भूमि का मुआवाज 'ए' सेक्टर में ही दिया जाने हेतु प्रकरण निर्णयार्थ प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में अवार्डी को आवंटित भूखण्ड संख्या ए–540 का आवंटन यथावत् रखा जावे भूखण्ड संख्या जी–169, जे–8, एन–462 कुल रकबा 750 वर्ग गज के आवंटन को निरस्त कर उक्त भूखण्डों के स्थान पर 750 वर्ग गज भूमि के भूखण्ड प्राधिकरण की विवेक विहार योजना के सेक्टर–ए में पंजिका पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन पश्चात् आवंटित की जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या 46/आवंटन मूल/E/C बैठक/16 कार्यकारी समिति की बैठक) के पैरा संख्या 34/एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है)

10/3/17
(अरूण पुरोहित)
सचिव

क्रमांक / आवंटन / 2017 / 1802–5 / 3940 – 3973 दिनांक :: 10 मार्च, 2017

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय / आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / मुख्यालय / यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर / पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
05. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
06 मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
08. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
09. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड / क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर / बोरानाड़ा
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर / प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
12. निदेशक– अभियांत्रिकी / नियोजन / वित्त / विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण / उपसचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अधीक्षण अभियन्ता–I / II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. ....

10/3/17
(अरूण पुरोहित)
सचिव

3940 – 3973
6/3/17

परिशिष्ट–क

दिनांक 3 मार्च, 2017 को दोपहर 2.00 बजे श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1.	श्री पी.सी. चौधरी, अतिरिक्त कलक्टर–शहर, जोधपुर
2.	श्री निसार खां, उपायुक्त, नगर निगम, जोधपुर
3.	श्री अविनाश सिंघवी, जोनल चीफ इंजिनियर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डिस्कॉम), जोधपुर
4.	श्री कैलाश रामदेव, अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
5.	श्री कमल सिंह, सहायक उपायुक्त–पुलिस (पश्चिम), पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
6.	श्री अतुल बल रत्नू, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7.	श्री लक्ष्मण पंवार, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8.	श्री नरपतसिंह शेखावत, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9.	श्री लालचन्द चाण्डक, मुख्य प्रबन्धक रोडवेज, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
10.	श्री रमेश मेहता, सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
11.	श्री डुंगरसिंह, सहायक पर्यटन अधिकारी, पर्यटन विभाग, जोधपुर
12.	श्री विरेन्द्रसिंह चौधरी, उपायुक्त–पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13.	श्री चैनसिंह चम्पावत, तहसीलदार, जोधपुर
14.	श्री अरूण पुरोहित, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य सचिव

सत्यमेव जयते	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 5, मंगलवार, शाके 1937–अक्टूबर 27, 2015 *Kartika 5, Tuesday, Saka 1937—October 27, 2015*	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

जोधपुर नगर निगम (विवाह एवं समारोह स्थल का पंजीयन) उपविधि 2015

जोधपुर नगर निकाय क्षेत्र में विवाह एवं समारोह स्थल में आमजन को होने वाली असुविधा एवं द्वारा संपादित सेवाओं में बढते दबाव के कारण विवाह एवं समारोह स्थलों के संचालन के नियंत्रण जनहित में उपविधि बनाया जाना आवश्यक हो गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की याचिका संख्या एकलपीठ दीवानी याचिका संख्या 7275/06 श्री राजकुमार ताथा बनाम सरकार व अन्य में दिनांक 1.4.08 को इस संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया गया था। अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 340 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम जोधपुर निम्न लिखित उपविधि बनाती है:–

1. शीर्षक सीमा एवं प्रभाव :–

(क) ये उपविधि नगर निगम जोधपुर (विवाह एवं समारोह स्थल का पंजीयन) उपविधि 2015 कहलायेंगे।

(ख) ये उपविधि तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगी।

(ग) ये उपविधि नगर निगम जोधपुर की सीमा में प्रभावशील होगी।

2. शाब्दिक परिभाषाएं :–

जब तक अर्थ में असंगता अथवा भाव में विपरीतता न हो, इन उपविधियों के प्रयोजनार्थ निम्नांकित शब्दों की परिभाषा निम्न प्रकार होगी:–

i. अधिनियम से तात्पर्य राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009) (वर्ष 2009 का अधिनियम संख्या 18) से है।

समिति से तात्पर्य जोधपुर नगर निगम द्वारा धारा 55 के अन्तर्गत गठित समिति से है।

स्थानीय निकाय से तात्पर्य जोधपुर नगर निगम से है।

iv. उपयोग व उपयोग अनुमति से तात्पर्य विवाह एवं समारोह स्थल पर इन उपविधियों के अन्तर्गत उपविधि 2 के खण्ड (VII) में वर्णित उपयोगों हेतु दी जाने अनुमति (अनुज्ञा पत्र) से है।

v. अनुमति प्राप्तकर्ता से अभिप्रेत इन उपविधियों के अन्तर्गत विवाह एवं समारोह स्थल पंजीयन की अनुमति (अनुज्ञा पत्र) प्राप्त करने वाले व्यक्ति से है, इसमें इनका अभिकर्ता, प्रतिनिधि एवं अन्य कर्तव्यस्थ सेवक सम्मिलित होगा।

vi. अधिकृत प्राधिकारी से तात्पर्य आयुक्त द्वारा निर्धारित किये गये प्राधिकृत अधिकारी से है जो राजस्व अधिकारी से कनिष्ठ स्तर का नहीं होगा, अधिकृत प्राधिकारी द्वारा उपविधियों के अन्तर्गत विवाह एवं समारोह स्थल की अनुमति (अनुज्ञा) एवं संचालन की क्रियान्विति सुनिश्चित की जावेगी।

vii. विवाह एवं समारोह स्थल से तात्पर्य जोधपुर नगर निगम की सीमा में स्थित ऐसे समस्त भूखण्डों/फार्म हाउस (अकृषि) /सामुदायिक केन्द्रो/समाज के भवनों/न्याति नोहरे/भवनो/क्लबों/बैंक्वट हॉल इत्यादि से है जो सगाई/शादी/जन्मदिवस एवं अन्य प्रकार के सामाजिक समारोह / उत्सव / प्रदर्शनी / कन्वेंशन /गरबा उत्सव/नववर्ष आयोजन इत्यादि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाते है।

viii. ऐसे भूखण्ड/भवन जिनका रूपान्तरण/आवंटन व्यावसायिक/पर्यटन/संस्थानिक प्रयोजनार्थ किया गया है परन्तु आवंटन की शर्तों में भूखण्ड/भवन का उपयोग उपविधि 2 के खण्ड (टप) में दर्शाये गये विभिन्न सामाजिक प्रयोजनार्थ को सम्मिलित नहीं किया गया है तो ऐसे समस्त भूखण्डधारी/भवन मालिक का "विवाह एवं समारोह स्थल" पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क दिया जाना अनिवार्य होगा।

ix. प्रपत्र से तात्पर्य इस उपविधि के साथ संलग्न प्रपत्र से है जो शब्द यहां परिभाषित नहीं किये है उनके संबंध में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में दी गई परिभाषाएं लागू होंगी।

3. निषेध :–

जोधपुर नगर निगम की सीमा में कोई भी व्यक्ति, संस्थान, कम्पनी स्थानीय निकाय की अनुमति (अनुज्ञा) प्राप्त किये बिना ऐसे स्थान का विवाह एवं समारोह स्थल के अलावा अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं कर सकेगा। अन्य उपयोग करने पर नियमानुसार अनुमति (अनुज्ञा) प्राप्त करनी होगी अन्यथा अनुज्ञा–पत्र अवैध मानकर कार्यवाही की जावेगी।

4. अनुज्ञा–पत्र प्राप्ति की प्रणाली :–

कोई भी व्यक्ति, संस्था, कम्पनी जो जोधपुर नगर निगम सीमा में स्थित भूखण्ड/भवन/फार्म हाउस (अकृषि) का उपयोग विवाह एवं समारोह स्थल के लिए करना चाहता है अथवा इन उपविधियों के लागू होने से पूर्व स्थल का उपयोग कर रहा है जो उपरोक्त प्रयोजनार्थ किया जा रहा है तो उसे :–

i. निर्धारित प्रपत्र 'क' में आवेदन करना होगा।

ii. विवाह एवं समारोह स्थल का कम्प्युटराईज्ड ले–आउट प्लान संलग्न करना होगा तथा उसके संबंध में निम्न विवरण देना अनिवार्य होगा :–

(क) महिला व पुरूष के लिये भवन विनियमों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पर्याप्त शौचालय व मूत्रालय
(ख) भवन विनियमों मे निर्धारित अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था
(ग) आवेदित स्थल की कुल व्यक्तियों की समाहित करने की क्षमता
(घ) आने व जाने के दो रास्ते (सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य) अगर वर्तमान मे आवेदित स्थल पर आने जाने का एक ही रास्ता उपलब्ध है तो आवेदनकर्ता को आवेदन करने से पूर्व दूसरा रास्ते की व्यवस्था की जाकर ही आवेदन किया जा सकेगा।
(ड) सड़क की चौडाई न्यूनतम 60 फीट होना अनिवार्य होगा । परंतु 1000 वर्गगज से कम क्षेत्र वाले विवाह एवं समारोह स्थल के संदर्भ में समिति रोड चौडाई हेतु छूट प्रदान कर सकेगी। सार्वजनिक सामुदायिक केन्द्रों के संबंध में में सडक की चौडाई 30 फीट रहेगी।
(च) कचरा संग्रह को व्यवस्था तथा गंदे पानी के निष्कासन की व्यवस्था
(छ) बिजली व पानी की पर्याप्त व्यवस्था तथा इमरजेन्सी लाईट
(ज) वाटर हारवेस्टिंग
(झ) हलवाई / कैटरिंग / अग्नि स्थान जहां भोजन तैयार करने की व्यवस्था की जानी है आवेदित स्थल पर विकसित वृक्षारोपण, पार्क, लैण्डस्केपिंग इत्यादि का विवरण प्रस्तावित आवेदित स्थल पर लिये गये विद्युत कनेक्शन भार का विवरण मय अतिरिक्त जनरेटर रूम व्यवस्था, आतिशबाजी के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले स्थान का इंगितिकरण इत्यादि।
(ट) पार्किग व्यवस्था हेतु यातायात विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है एवं नवीनीकरण के समय पुनः अनापति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

iii. संबंधित भूखण्ड के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज की प्रति

iv. यदि उपयोगकर्ता किरायेदार है तो उसे स्थल के मालिक से लिखित में हुए इकरारनामा एवं एम.ओ. यू./अन्य कानूनी दस्तावेज, जिसके तहत निर्धारित स्थल का उपयोग किया जा रहा है कि नोटराईज्ड प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी एवं विवाह एवं समारोह स्थल की अधिसूचना (भूखण्ड/भवन मालिक की सहमति सहित) के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो का उसके द्वारा अक्षरशः पालना किया जावेगा। इस हेतु 10/– का ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

समस्त वांछित औपचारिकतायें पूरी करने के पश्चात् जोधपुर नगर निगम के अधिकृत प्राधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा आवेदित स्थल की जांच की जाकर अनुमति (अनुज्ञा–पत्र) दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने का निर्णय लिया जाकर आवेदनकर्ता को सूचित किया जा सकेगा।

5. प्रक्रिया

अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पहली बार विवाह एवं समारोह स्थल पंजीयन की अनुमति देने से पूर्व सार्वजनिक विज्ञप्ति राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में आवेदनकर्ता के व्यय पर प्रकाशित करवायी जावेगी। 15 दिवस में आपत्ति प्राप्त न होने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तो को पूर्ण करने के पश्चात् विवाह एवं समारोह स्थल (उपयोग व उपभोग) पंजियन जारी किया जा सकेगा। यदि आपत्ति प्राप्त होती है तो आपत्तिकर्ता की सुनवायी की जाकर प्रकरण का निस्तारण आयुक्त/उपायुक्त या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

6. भूमि/भवन स्वामित्व की जांच :–

यदि आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र मे वांछित दस्तावेज संलग्न नही किये गये हो या वांछित दस्तावेज जांच में सही नही पाये जावे तो उपविधि 4 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ जमा करवाई गई विवाह एवं समारोह स्थल पंजीयन प्रोसेसिंग शुल्क की राशि को लौटाया नही जावेगा। आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र अस्वीकार करने का कारण स्पष्ट करते हुए लिखित में सूचित करना आवश्यक होगा।

7. अपील

विवाह एवं समारोह स्थल के लिये आवेदनकर्ता के आवेदन को किसी कारण अगर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अस्वीकार पत्र जारी करने के 60 दिवस में इसकी अपील राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 में गठित समिति अथवा इस प्रयोजन से अधिकृत समिति में की जा सकेगी।

8. आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने की समय सीमा:–

जोधपुर नगर निगम द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने को 30 दिवस की अवधि में आवेदनकर्ता को स्वीकृत/अस्वीकृति के संबंध में सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।

9. प्रतिबन्धित क्षेत्र :–

a. ऐसे स्थान जहां पर रात्रिकालीन शिक्षण संस्थायें या अन्य इस प्रकार की संस्था चालू हो तथा विवाह स्थल की अनुमति दिये जाने पर शिक्षण कार्य मे बाधा आती हो, वहां पर विवाह एवं समारोह स्थल की अनुमति नही दी जा सकेगी।

b. विवाह एवं समारोह स्थल हेतु अनुमति संचालित चिकित्सालय से 100 फीट की परिधि में प्रतिबन्धित होगी।

EC

कार दिए गए निर्देशों पर अथवा राज्य सरकार की पूर्वानुमति पर जोधपुर नगर निगम रक्षा व जन असुविधा का ध्यान रखते हुए किसी भी क्षेत्र को प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित कर

।

मारोह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) पंजीयन एवं अनुमति शुल्क :–

(अ) विवाह एवं समारोह स्थल प्रोसेसिंग शुल्क 5000/– ।

(ब) विवाह एवं समारोह स्थल पंजीयन शुल्क 30000/– एक बारीय देय होगा ।

(स) विवाह एवं समारोह स्थल उपयोग का संचालन हेतु नवीनीकरण शुल्क प्रतिवर्ष नियमानुसार देय होगा।

एरिया (वर्ग मीटर) ग डी. एल. सी. (वर्ग मीटर)

1000

विवाह एवं समारोह स्थल उपयोग की नवीनीकरण/ संचालन शुल्क पूरे वित्तीय वर्ष हेतु देय होगी रोक्त अनुज्ञा–पत्र वित्तीय वर्ष के किसी भी माह में जारी की गई हो।

उपरोक्त विवाह एवं समारोह स्थल पंजीयन शुल्क एवं विवाह एवं समारोह स्थल (उपयोग एवं) संचालन/नवीनीकरण शुल्क जोधपुर नगर निगम को देय किसी भी अन्य शुल्क कर इत्यादि के अतिरिक्त होगी।

नोट :– उपविधि 10 के खण्ड (अ) व (ब) के अन्तर्गत जमा करवायी गई प्रोसेसिंग की राशि जोधपुर नगर निगम द्वारा आवेदनकर्ता को वापस नहीं लौटाई जावेगी।

संचालन/नवीनीकरण :–

(क) विवाह एवं समारोह स्थल (उपयोग व उपभोग) संचालन/ नवीनीकरण शुल्क पूरे वित्तीय वर्ष के लिये देय होगा यदि वित्तीय वर्ष के मध्य में समारोह स्थल स्थापित किया जाता है तो भी संचालनकर्ता द्वारा पूरे वर्ष का शुल्क देना अनिवार्य होगा।

(ख) 01 फरवरी से 31 मार्च की अवधि में जोधपुर नगर निगम द्वारा स्वीकृत स्थलों द्वारा अग्रिम वितीय वर्ष हेतु देय शुल्क जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।

(ग) संचालन प्राप्तकर्ता द्वारा यदि उपरोक्तानुसार शुल्क जमा नहीं करवाया जाता है तो प्रथम तीन माह देय कुल शुल्क की राशि पर 10 प्रतिशत शास्ति एवं तत्पश्चात् दो प्रतिशत प्रतिमाह विलम्ब शुल्क के रूप में शास्ति के रूप में देय होगा।

विवाह एवं समारोह स्थल (उपयोग व उपभोग) अनुज्ञा पत्र निम्न शर्तों के अध्यधीन होगा:–

(क) अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा इसके चारों ओर सुरक्षा संबंधी आवश्यक प्रबंध किये जायेंगे।

(ख) अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा इसके संबंध में आवश्यक हिदायतें व सूचनायें परिसर के बाहर बोर्ड लगाकर अंकित की जावेगी। सूचनाओं का निर्धारण एकरूपता के आधार पर जोधपुर नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रारुप में किया जावेगा।

(ग) ध्वनि प्रदूषण के संबंध में राज्य सरकार/जिला प्रशासन/नगर निगम द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो/निर्देशों की पालना करनी होगी।

(घ) विवाह एवं समारोह स्थल पर एकत्रित कचरें के लिये जोधपुर नगर निगम द्वारा निर्देशित नाम एवं डिजाइन का कचरा पात्र रखना होगा।

(ङ) अग्निशमन से संबधित उपकरण लगवाकर जोधपुर नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्तो की पालना की जानी अनिवार्य होगी।

(च) जोधपुर नगर निगम द्वारा विवाह एवं समारोह स्थल से कचरा उठाने का शुल्क निर्धारित किया जा सकेगा जो अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा देय होगा।

(छ) अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा आवेदन स्थल पर सुविधाजनक सुरक्षित पार्किंग स्थल स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध करवाना होगा। अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह एवं समारोह स्थल से अनुमोदित ले–आउट प्लान में इंगित शर्तो की पालना सुनिश्चित करते हुए विवाह एवं समारोह स्थल विकसित किया जाना अनिवार्य होगा।

12. अभियोजन

जोधपुर नगर निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो राजस्व अधिकारी से कनिष्ठ पद का नहीं होगा, द्वारा विवाह एवं समारोह स्थल का निरीक्षण कर सकेगा। यदि उपयोग एवं उपभोग में निर्देशित शर्तो उपविधियों का उल्लघंन पाया जाता है तो प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाकर अनुज्ञा पत्र को निरस्त किया जा सकेगा। विवाह एवं समारोह स्थल सम्पति का जोधपुर नगर निगम उपविधियों के अन्तर्गत अटैचमेन्ट एवं सीज भी किया जा सकेगा तथा दोषी व्यक्ति, संस्था एवं कम्पनी के विरूद्ध अभियोजन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्यवाही भी प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भ की जा सकेगी।

13. समझौता :–

न्यायालय में विचाराधीन अभियोग को वापस लेने अथवा समझौता करने का अधिकार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 में गठित समिति या जोधपुर नगर निगम द्वारा प्राधिकृत समिति/अधिकारी को होगा।

14. उपविधियों का उल्लघंन :–

इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लघंन पाया जाने पर प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा 10000/– रूपये का अर्थ दण्ड दिया जाकर उपविधि संख्या 12 के अन्तर्गत कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्तकर्ता के विरुद्ध अमल में लाई जावेगी।

15. अर्थदण्ड की राशि को स्थानीय कोष में जमा करवाना :–

अर्थदण्ड की धनराशि अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार नगर निगम कोष में जमा करवाई जाकर प्राधिकृत अधिकारी को सूचित किया जाना आवश्यक होगा।

16. अवैध विवाह एवं समारोह स्थलों का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही :–

यदि किसी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के जोधपुर नगर निगम सीमा में विवाह एवं समारोह स्थल विद्यमान अथवा शुरू किया जाता है तो उसे जोधपुर नगर निगम द्वारा अवैध मानकर सीज किया/हटाया जा सकेगा एवं अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी।

17. जनरेटर रूम की व्यवस्था :–

यह है कि जोधपुर नगर निगम क्षेत्र स्थित विवाह एवं समारोह स्थलों को-ज़ेनरेटर इस प्रकार लगाने होंगे जिससे आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो एवं उससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो।

18. सार्वजनिक स्थानों के सामाजिक समारोह हेतु उपयोग पर रोक :–

यह है कि स्थानीय क्षेत्र मे स्थित विकास समिति एवं गृह निर्माण एवं मोहल्ला विकास समिति द्वारा जो स्थान सार्वजनिक पार्क हेतु छोडे गये है उनका उपयोग विवाह एवं समारोह स्थलों हेतु नही किया जावेगा, न ही उन्हे अनुज्ञा पत्र जारी किया जावेगा। उनका उपयोग जिस उद्देश्य हेतु रखा गया है उसी प्रकार में लिया जा सकेगा।

19.(1) सामुदायिक केन्द्रों/सार्वजनिक धर्मशालाओं के विवाह एवं समारोह स्थलों के उपयोग पर शुल्क राशि में छूट :–

भारत सरकार/ राज्य सरकार के सरकारी/ अर्द्ध सरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा निर्मित किये गये विवाह एवं समारोह स्थलों जिनका संचालन नागरिक समितियों द्वारा किया जा रहा है, के अनुज्ञा शुल्क हेतु उपविधि 10 के अन्तर्गत निर्धारित राशि की 25 प्रतिशत राशि शुल्क के रूप में ली जा सकेगी, परन्तु ऐसे विवाह एवं समारोह स्थल, जिनका संचालन भारत सरकार/ राज्य सरकार के सरकारी/ अर्द्ध सरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा स्वयं के स्तर पर संचालन किया जा रहा है को उपविधि 10 से छूट होगी।

19 (2). समाज के समस्त न्याति नोहरों, भवनों एवं बगीचियों जिनका संचालन समाज द्वारा किया जा रहा है तथा सामाजिक नोहरों/स्थलों में शादी समारोह का आयोजन किया जाता है तो इन सभी नोहरों/स्थलों का विवाह एवं समारोह स्थल के रूप में अनुज्ञा शुल्क रूपये 5000/– एवं 1000/– रूपये प्रोसेसिंग शुल्क जमा कराने होंगे तथा आगामी वित्तीय वर्ष नवीनीकरण हेतु रूपये 2000/– शुल्क प्रति वर्ष देय होगा। इन विवाह एवं समारोह स्थलों से प्रति समारोह सफाई शुल्क नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क देना होगा।

20. पार्किंग और यातायात सुनिश्चित करना :–

अनुज्ञा प्राप्तकर्ता को पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर सुनिश्चित करनी होगी और स्थानीय पुलिस की अनुमति से सडक के एकतरफा सिंगल लाईन पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।

यातायात के संबंध में जोधपुर नगर निगम एवं स्थानीय पुलिस द्वारा विवाह जुलूस को यातायात की सुव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित किया जा सकेगा। किसी क्षेत्र में सड़क विशेष पर विवाह जुलुस को अनुमति देने हेतु प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा।

21. विवाह एवं समारोह स्थलों की भूमि का अन्य उपयोग पर प्रतिबंध :–

अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा विवाह एवं समारोह स्थल की अनुज्ञा प्राप्त होने के बाद अनुज्ञा पत्र एक–एक प्रति संबंधित पुलिस थाना व जिला कलेक्टर को देनी आवश्यक होगी। जोधपुर नगर निगम द्वारा समाज के सामाजिक दायित्वों अनुज्ञा पत्र किसी भी प्रकार की भू–उपयोग परिवर्तन की अनुमति या अंगीकार नही माना जावेगा। अनुज्ञा प्राप्तकर्ता द्वारा भविष्य में संबंधित स्थल का भू–उपयोग परिवर्तन चाहने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर संबंधित उपविधियां के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सकेगा।

22. जोधपुर नगर निगम का सर्वाधिकार सुरक्षित :–

विवाह एवं समारोह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) अनुमति पत्र से भूमि/भवन के स्वामित्व का कोई अधिकार प्राप्त नही होगा। जोधपुर नगर निगम द्वारा विवाह एवं समारोह स्थल हेतु जारी अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति को कारण स्पष्ट किए बिना निरस्त करने का अधिकार होगा। निरस्तीकरण पर जोधपुर नगर निगम द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नही होगी।

23. वर्तमान में अवैध रूप से संचालित विवाह एवं समारोह स्थलों को विवाह एवं समारोह स्थल अनुज्ञा प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में :–

जोधपुर नगर निगम के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निकाय के परिधीय क्षेत्रों में वर्तमान में संचालित विवाह एवं समारोह स्थलों एवं उपविधि 2 के खण्ड (अ) में वर्णित अन्य गतिविधियों हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थलों का सर्वेक्षण अधिसूचना जारी होने के 30 दिवस की अवधि में करवाया जाकर जोनवार सूची तैयार की जाकर उपविधि संख्या 10, 11, 12, 13 एवं 14 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

24. निरसन और व्यावृत्तियां :–

इन उपविधियों के प्रवर्तन में आने के पश्चात् पूर्व में जारी आदेश/निर्देश/विज्ञप्तियों निरस्त समझी जावेगी लेकिन इस उपविधियों के प्रवर्तन में आने से पूर्व निरसित आदेश/निर्देश/विज्ञप्तियों के तहत किया गया कोई कार्य उपविधियां प्रभावशील होने के कारण अवैध नही समझा जावेगा।

25. अनुज्ञा प्राप्तकर्ता से शपथ-पत्र प्राप्त किया गया :-
प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवाह एवं समारोह स्थल की स्वीकृति जारी करने से पूर्व अनुज्ञा प्राप्तकर्ता से 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशयल स्टाम्प पत्र पर इस आशय का शपथ-पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा कि उसके द्वारा इन उपविधियों में वर्णित समस्त दिशा-निर्देशों को अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावेगी अन्यथा उसका उपयोग एवं उपभोग स्वतः निरस्त समझा जा सकेगा।

भाग -1

कार्यालय, जोधपुर नगर निगम
प्रपत्र -क
विवाह एवं समारोह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने बाबत् प्रार्थना पत्र
(जोधपुर नगर निगम (विवाह एवं समारोह स्थल का पंजीयन) उपविधि 2015 अन्तर्गत)

श्रीमान् प्राधिकृत प्राधिकारी
जोधपुर नगर निगम

विषय :- विवाह एवं समारोह स्थल हेतु नवीन अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी करने/पूर्व में जारी अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण करने के संबंध में।

1 विवाह एवं समारोह स्थल का नाम : ....
2 संचालक/मालिक/अधिकृत व्यक्ति का नाम : ....
3 पता/दूरभाष नं. (कार्यालय/निवास/मोबाईल) : ....
4 फैक्स/ई-मेल का पता : ....
5 स्थान का पूरा विवरण : ....
6 विवाह एवं समारोह स्थल (भूखण्ड/भवन) का सम्पूर्ण (क्षेत्रफल बाहरी परिधीय क्षेत्र के अनुसार) : ....
7 यातायात/अन्य संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र : ....
8 मकान मालिक/भूखण्ड की सहमति प्रमाण पत्र जो नोटरी पब्लिक से प्रमाणित किया गया हो : ....
9 भूखण्ड/भवन के स्वामित्व से संबंधित नोटरी पब्लिक से प्रमाणित दस्तावेज : ....
10 विवाह एवं समारोह स्थल का ले-आउट प्लान बिन्दु संख्या 4 उपपद्ध में दी गई शर्तो को सुनिश्चित करते हुये : ....
11 अन्य विवरण ....

मैनें जोधपुर नगर निगम (विवाह एवं समारोह स्थल का पंजीयन) उपविधि 2015 का अवलोकन/अध्ययन कर लिया है। मै इन उपविधियों से आबद्ध रहूंगा। उक्त विवाह एवं समारोह स्थल का (उपयोग एवं उपभोग) अनुज्ञा पत्र जारी करने का कष्ट करे।

आवेदक के हस्ताक्षर

भाग -2

कार्यालय, जोधपुर नगर निगम
प्रपत्र -ख
जोधपुर नगर निगम (विवाह एवं समारोह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र)

चैक लिस्ट

विवाह एवं समारोह स्थल का नाम ....
अनुज्ञा आवेदक का नाम एवं पता ....
स्वामित्व संबंधी दस्तावेज ....
विवाह एवं समारोह स्थल की भूमि का प्रकार ....

स्थल का विवरण :–

मूत्रालय का विवरण

....

....

2 अग्निशमन: अग्निशमन विभाग की अनापति पत्र संलग्न हैं : ....
3 यातायात: यातायात विभाग की अनापति प्रमाण पत्र : ....
स्थल के सामने मुख्य सडक की चौडाई .... : ....
की व्यवस्था .... : ....
पात्र की व्यवस्था : ....
स्वयं का कचरा पात्र है
जोधपुर नगर निगम से किराये पर लिया है
जनरेटर रूप की व्यवस्था : ....
स्थल पर प्रथम चिकित्सीय सुविधा : ....
9 गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था : ....
10 वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान : ....
11 नजदीक के अस्पताल से दूरी : ....
12 नजदीक फ़ायर स्टेशन से दूरी : ....
13 नगरीय विकास कर का विवरण : ....
जमा करने की रसीद संख्या ....
एवं दिनांक (मय फोटो प्रतिलिपि) ....
14 अन्य विवरण : ....

हस्ताक्षर अनुज्ञा आवेदक

कार्यालय, जोधपुर नगर निगम
(विवाह एवं समारोह स्थल का पंजीयन) उपविधि 2015 अन्तर्गत)
प्रपत्र – ग
विवाह एवं समारोह स्थल (उपयोग एवं उपभोग) अनुज्ञा पत्र

आपको सहर्ष सूचित किया जाता है कि आप द्वारा दिनांक .... को जोधपुर नगर निगम को विवाह एवं समारोह स्थल पंजीयन हेतु दिये गए आवेदन पर विवाह एवं समारोह स्थल उपयोग हेतु अनुज्ञा पत्र जारी किया जाता है:–

खाता संख्या : .... मूल पत्रावली संख्या : ....
अनुज्ञा संख्या : .... गत अनुज्ञा संख्या : ....
दिनांक : .... दिनांक : ....

1 अनुज्ञाकर्ता का नाम : ....
2 पिता का नाम : ....
3 मालिक का नाम व पता : ....
4 दूरभाष नं. (कार्यालय / निवास / मोबाईल) : ....
5 विवाह एवं समारोह स्थल का नाम व पता : ....
6 जोन / क्षेत्र का नाम जिनके क्षेत्र में स्थापित होना है : ....
7 वार्ड नं. : ....
8 विवाह एवं समारोह स्थल के बारे में विवरण : ....
9 वित्तीय वर्ष : ....
10 आपको निर्देशित किया जाता है विवाह एवं समारोह स्थल का उपयोग जोधपुर नगर निगम द्वारा जारी उपरोक्त उपविधियों में वर्णित समस्त दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालना किया जायेगा, अन्यथा इस उपयोग एवं उपभोग का स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

(प्राधिकृत प्राधिकारी)
जोधपुर नगर निगम

संचालन एवं नवीनीकरण
1. वित्तीय वर्ष .... के लिए संचालन / नवीनीकरण शुल्क रसीद सं. ....
दिनांक .... द्वारा जमा कराने पर नवीनीकरण किया गया।
2.
3.
4.